न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश, डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के विचारण हेतु राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.2(12)न्याय/85, जयपुर दिनांक 28.02.04 के तहत सशक्त)

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल बेनीवाल
आर.एच.जे.एस.

सेशन प्रकरण संख्या 02/2018 (old case No.38/2016)

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 129/2016

...

राजस्थान राज्य ....अभियोगी

बनाम

रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री बंशीधर मीणा, उम्र–38 वर्ष, निवासी दातिल रोड़, मुकाम पोस्ट नारेहड़ा तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राज.)

....अभियुक्त

...

अपराध अर्न्तगत धारा–7,13(1)(d)(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988

...

उपस्थितः–
1– सुश्री अलका गहलोत, लोक अभियोजक, राज्य सरकार की ओर से।
2– श्री अनिल सक्सेना, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

...

निर्णय

दिनांक : 6.1.2021

1. अभियोजन के अनुसार संक्षेप में, प्रकरण के तथ्य, इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.16 को परिवादी रामगोपाल ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.प्रथम, जयपुर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि मैं रामगोपाल पुत्र चौथमल, जाति गुर्जर, निवासी विजयपुरा, पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा का रहने वाला हूं। उसका अपना ट्रेक्टर है जिससे वह चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के बन्देडिया गांव से बजरी भरकर इन्द्रगढ़ लेकर जाता है। रास्ते में टोंक जिले के

अलीगढ़ थाना क्षेत्र का गांव चोरू का करीब चार किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। उस रास्ते पर अलीगढ़ थाने के थानाधिकारी रमेश ने दिनांक 16.05.16 को सुबह 7.00 बजे मेरा ट्रेक्टर रोककर थाने पर ले गये। थानेदार ने मेरे को कहा कि तेरे ट्रेक्टर को छुड़ाना है तो 30,000/– रूपये देने पड़ेंगे नहीं तो ट्रेक्टर को बन्द करने व मुकद्मा बनाने के लिए थानेदार जी ने कहा। इस पर मैंने कहा कि अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है तो थानेदार ने मुझे कहा कि ट्रेक्टर छुड़वाना है तो 30,000/– रूपये देने पड़ेंगे, अभी तेरे पास पैसे नहीं है तो तू कीणी से कहलवा दे तेरा ट्रेक्टर छोड़ देंगे। मैंने कहा कि साहब विश्वास रखो, हम रोज निकलते हैं, पैसे का इन्तजाम करके मैं दे जाउंगा, आज ट्रेक्टर छोड़ दो। इस पर थानेदार ने मेरा ट्रेक्टर छोड़ दिया और कहा कि कल 30,000/– रूपये का इन्तजाम करके दे जाना नहीं तो तेरा बजरी का ट्रेक्टर बन्द करके मुकदमा बना दूंगा। मैं आज अलीगढ़ थानाधिकारी रमेश चन्द के पास जाउंगा तो वो मेरे से बजरी का ट्रेक्टर छोड़ने के और ट्रेक्टर को आगे चलाने के लिए 30,000/– रूपये की रिश्वत मांगेगा। मैं थानेदार को रिश्वत नहीं देना चाहता है बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। थानाधिकारी रमेश चन्द ने दिनांक 17.05.16 को 10,000/– रूपये बतौर अग्रिम रिश्वत प्राप्त किये है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ए.सी.बी द्वारा मांग का सत्यापन करवाया गया तथा मांग का सत्यापन होने पर नियमानुसार ट्रेप की कार्यवाही कर अभियुक्त रमेश चन्द को दिनांक 27.05.16 को 20,000/– रूपये उसकी पहनी वर्दी की पेंट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद होने पर राशि को जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण में शेष अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी रमेश चन्द मीणा के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 7,13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

के तहत विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर में दिनांक 25.07.2016 को प्रस्तुत किया गया है।

2. यह प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक जनरल/टीआरसी/28/2017 दिनांक 24.05.17 की अनुपालना में न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर से दिनांक 17.11.2017 को अंवीक्षा हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुआ।

3. उभय पक्ष की आरोप बहस दिनांक 18.09.2018 को सुनी जाकर अभियुक्त रमेश चन्द मीणा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7,13(1)(d) सपठित धारा 13 (2) के आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अंवीक्षा चाही।

4. इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को साबित करने के लिए निम्नलिखित 13 साक्षीगण का परीक्षण कराया गया।

पी.ड.–1 रामगोपाल (परिवादी), पी.ड.–2 अभिषेक पारीक (ट्रैप आयोजन अधिकारी), पी.ड.–3 सत्यनारायण , पी.ड.–4 मोन्टू गुप्ता, पी.ड.–5 सुरेन्द्र सिंह (स्वतंत्र गवाह) , पी.ड.–6 चरतलाल, पी.ड.–7 अनोख कुमार, पी.ड.–8 मालिनी अग्रवाल (सक्षम अधिकारी), पी.ड.–9 गुलाब चन्द बैरवा (स्वतंत्र गवाह), पी.ड.–10 हवा सिंह, पी.ड.–11 राजकृष्ण मीणा, पी.ड.–12 जगदीश प्रसाद व पी.ड.–13 रामदयाल।

5. उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रदर्शित कराये है।

प्रदर्श पी–1 परिवादी का परिवाद मय रनिंग नोट, प्रदर्श पी–2 फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर, प्रदर्श पी–3 फर्द ट्रांसक्रिप्ट

रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता, प्रदर्श पी–4 फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं प्रदर्शन फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर, प्रदर्श पी–5 फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर दि. 27.05.16, प्रदर्श पी–6 फर्द बरामदगी रिश्वती राशि नोट एवं हाथ धुलाई, प्रदर्श पी–7 फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती लेनदेन वार्ता, प्रदर्श पी–8 फर्द निरीक्षण घटनास्थल, प्रदर्श पी–9 फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी ट्रेप कार्यवाही अभियुक्त, प्रदर्श पी–10 फर्द प्राप्ती नमूना आवाज अभियुक्त, प्रदर्श पी–11 प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रदर्श पी–12 फोटो प्रति रोजनामचा आम दिनांक 27.5.16 पुलिस थाना अलीगढ़, प्रदर्श पी–13 एस.पी. टोंक का पत्र, प्रदर्श पी–13 (दिनांक 31.5.19 को प्रदर्शित) बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. सीताराम, प्रदर्श पी–14 एस.पी. उदयपुर का आदेश, प्रदर्श पी–14 (दिनांक 31.5.19 को प्रदर्शित) भारत संचार निगम लि0 जयपुर का पत्र, प्रदर्श पी–15 महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर का आदेश, प्रदर्श पी–15 (दिनांक 31.5.19 को प्रदर्शित) कॉल डिटेल्स, प्रदर्श पी–16 पुलिस अधीक्षक, टोंक का आदेश, प्रदर्श पी–16 (दिनांक 31.5.19 को प्रदर्शित) प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रदर्श पी–17 विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, प्रदर्श पी–17 (दिनांक 31.5.19 को प्रदर्शित) बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. रामगोपाल, प्रदर्श पी–18 बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. चरतलाल (दिनांक 22.7.19 को प्रदर्शित एवं प्रदर्श पी–17 अंकित) , प्रदर्श पी–19 अभियोजन स्वीकृति, प्रदर्श पी–20 महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज अजमेर का पत्र, प्रदर्श पी–21 व प्रदर्श पी–22 कॉल डिटेल्स, प्रदर्श पी–23 प्राप्ति रसीद एफ एस एल, प्रदर्श पी–24 फार्म 'एच' एफ एस एल, प्रदर्श पी–25 व प्रदर्श पी–26 आर.सी. की फोटो प्रतियां व प्रदर्श पी–27 प्रथम सूचना रिपोर्ट।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आर्टिकल भी प्रदर्शित कराये हैं

आर्टिकल–1 व आर्टिकल–2 धोवन की शीशीयां आर 1 व आर–2, आर्टिकल–3 व आर्टिकल–4 धोवन की शीशीयां एल–1 व एल–2, आर्टिकल–5 व आर्टिकल–6 धोवन की शीशीयां पी–1 व पी–2, आर्टिकल–7 पेंट की सफेद कपड़े की सील्ड थैली, आर्टिकल–8 सील्ड खाकी लिफाफा मांग सत्यापन सीडी, आर्टिकल–9 सील्ड खाकी लिफाफा लेनदेन वार्ता सीडी, आर्टिकल–10 खाकी रंग की पेंट, आर्टिकल–11 सत्यापन वार्ता की सी.डी., आर्टिकल–12 प्लास्टिक के कवर में रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी ।

7. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी डी.ड.1 जीत सिंह व डी.ड.2 महावीर सिंह को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया।

8. प्रतिरक्षा पक्ष की प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 रामगोपाल द्वारा लिखित स्टाम्प की फोटो प्रति, प्रदर्श डी–1 फोटो प्रति रोजनामचा आम थाना अलीगढ़, प्रदर्श डी–2 बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. अभिषेक पारीक, प्रदर्श डी–2 (दिनांक 22.7.19 को प्रदर्शित) चरतलाल के प्रार्थना पत्र (परिवाद) की फोटो प्रति, प्रदर्श डी–3 (दिनांक 27.9.19 को प्रदर्शित) एस.पी. ए.सी.बी, अजमेर के पत्र की फोटो प्रति, प्रदर्श डी–3 (दिनांक 2.11.20 को प्रदर्शित) पुलिस थाना अलीगढ के रोजनामचे की फोटो प्रति, प्रदर्श डी–4 (दिनांक 10.12.19 को प्रदर्शित) जगदीश प्रसाद का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं., प्रदर्श डी–6 पुलिस थाना अलीगढ़ जिला टोंक के रोजनामचे की फोटो प्रति प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये गये।

9. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किये गये गवाहान के कथनों व प्रलेखीय साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त रमेश चन्द मीणा के बयान अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रकिया संहिता दिनांक 06.03.2020 को

लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त ने कथन किया कि उसने ट्रेक्टर रोक कर रॉयल्टी की रसीद मांगी थी उन्होंने कहा कि ठेकेदार रसीद नहीं देता है पर उसने कहा अगर ट्रेक्टर चलाओगे तो रॉयल्टी की रसीद दिखानी होगी। रामगोपाल के विरूद्ध चरतलाल का परिवाद लम्बित था उसमें सिपाही जांच करने गया था। वह कोई ट्रेक्टर थाने पर लेकर नहीं आया। वह छुट्‌टी पर था, बाद में पता लगा कि रामगोपाल ने 10,000/– रूपये हैड कानि. को दिये थे जो उसने चरतलाल को दे दिये बाकी पता नहीं। उसके पास रामगोपाल का टेलीफोन आया था कि चरतलाल के 20,000/– रूपये देने है तो उसने कहा कि वह छुट्‌टी पर है थाने पर दे जाना तथा बयान दे देना। रामगोपाल ने रूपये चरतलाल को देने के लिये टेबल पर रखे, उसने कहा उसे दे देना तो उसने कहा घर पर नहीं है, तब उसने चरतलाल को रूपये देने के लिए जेब में रख लिये। उसने ए.सी.बी वालों को कहा था कि चरतलाल को देने का कहकर रूपये दिये थे, उसका परिवाद भी है आप देख लो तो उन्होंने नहीं देखा। अलीगढ़ में कोई कार्यवाही नहीं की। जयपुर लाकर लिखा पढ़ी की। भीड़ उग्र हो गई थी। बाहर से जाप्ता आया था। उसके दस्तख्त जयपुर में करवाये थे। कागजात अलीगढ़ में बनाना झूठा बताया था। रामगोपाल के दस्तख्त होंगे, सब जयपुर में करवाये थे। रामगोपाल को उसने ट्रेक्टर रोकने के दिन के बाद ट्रेप के दिन ही देखा था। उसकी रामगोपाल से कोई बात नहीं हुई। वह थाने पर कोई ट्रेक्टर लेकर नहीं आया और न ही 30,000/– रूपये मासिक बंधी के मांगे। सारा केस फर्जी बनाया। उसकी रामगोपाल से कोई बात नहीं हुई न उसने 10,000/– रूपये रिश्वत के तौर पर प्राप्त किये न ही 20,000/– रूपये बाद में प्राप्त करना तय किया। उसकी रामगोपाल से रिश्वत की कोई बात नहीं हुई। सारी कार्यवाही फर्जी की है। उसने उस समय भी बताया था कि पैसे चरतलाल को देने की

कहकर दिये थे। उसने परिवाद भी दिखाना चाहा पर नहीं लिया। मौके पर फर्दें नहीं बनाई थी जयपुर जाकर बनाकर दस्तख्त करवाये थे। ट्रांसक्रिप्ट उसको सुनाकर नहीं बनाई, रोजनामचे में रपट डाली थी। आवाज के नमूने के लिए उसने कहा था वकील से बात करने दो तो धमकाकर दस्तख्त करवा लिये व गलत लिखवा लिया। उसे गिरफ्तार किया था। वह सत्यनारायण को नहीं जानता। कॉल डिटेल गलत है, 65—बी का प्रमाण पत्र गलत है। जयपुर में क्या कार्यवाही हुई पता नहीं। उसने बार बार कहा था रूपये चरतलाल के लिये दिये है। गलत ट्रेप के कारण भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कागजात जयपुर बनाये थे। उसने कोई मांग नहीं की। उसकी वार्ता ही नहीं हुई थी, दिनांक 19.5.16 को वह अवकाश पर था। अभियोजन स्वीकृति अवैध है। उसने सही बताया था कि चरतलाल को देने की कहकर पैसे दिये थे। उसे पकड़ा जरूर था, हाथ धुलवाये थे, बोतलों को सील की कार्यवाही जयपुर की थी। जयपुर में क्या कार्यवाही पहले की थी उसे पता नहीं। फर्दों पर बिना पढ़ाये दस्तख्त कराये थे। उसने कोई गर्दन नीचे नहीं की थी बल्कि स्पष्ट कथन किया था कि पैसे चरतलाल को देने की कहकर दिये है। तफतीश अधिकारी ने झूठे बयान लिये, गलत तथ्यों पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की। उसे झूठा फंसाया गया है।

10. उभय पक्ष की बहस अन्तिम सुनी गयी। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अनुशीलन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

11. बहस अन्तिम के प्रक्रम पर विद्वान् लोक अभियोजक ने आरोप पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं न्यायालय के समक्ष गवाहों के लेखबद्ध बयानों की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि प्रकरण में परिवादी रामगोपाल एवं चरतलाल को

अभियुक्त द्वारा विन ओवर कर लिया गया है जिस कारण से वह पक्षद्रोही हुए हैं परन्तु इसके बावजूद अभियुक्त द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना व मांग के उपरान्त 10,000/– रूपये रिश्वत राशि दिनांक 17.5.16 को सत्यापन के समय परिवादी से प्राप्त करना गवाह अभिषेक पारीक पी.ड.2, गवाह सुरेन्द्र सिंह पी.ड.5, गवाह अनोख कुमार पी.ड.7 व गवाह राजकृष्ण मीणा पी.ड.11 की मौखिक साक्ष्य एवं रिकार्डेड वार्ता, जो सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 में रिकार्ड है, व वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 से होती है।

12. विद्वान् लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियुक्त रमेश चन्द मीणा द्वारा 20,000/– रूपये परिवादी से दिनांक 27.5.16 को प्राप्त किये गये, रिश्वत राशि 20,000/–रूपये अभियुक्त की पेन्ट की जेब से वक्त ट्रेप बरामद हुई थी। अभियुक्त ने यह राशि उससे बरामद होना स्वीकार किया है। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने राशि प्राप्त की थी। अभियुक्त रमेश चन्द मीणा द्वारा राशि 20,000/– रूपये रिश्वत स्वरुप परिवादी से दिनांक 27.5.16 को प्राप्त करना अभियोजन के गवाह एवं वक्त लेन देन के समय परिवादी डिजिटल वौइस् रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी जो रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–12 में रिकार्ड है, एवं रिकार्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–7 से संदेह से परे प्रमाणित है।

13. विद्वान् लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियुक्त रमेश चन्द मीणा द्वारा दिनांक 16.5.16 को 10,000/– रूपये सत्यापन के समय परिवादी से प्राप्त किये गये, अभियुक्त का सत्यापन के समय अलीगढ़ में ही उपस्थित होना अभियुक्त के मोबाईल, जिसका नम्बर 9530417862 है, कि कॉल डिटेल रिकार्ड सी.डी.आर प्रदर्श पी–15, जिसमें उक्त मोबाईल का उनियारा टावर की रेंज में समय 17.57 के उपरान्त दिखाया गया है, से संदेह से परे प्रमाणित है एवं प्रमाणित है

की अभियुक्त ने जयपुर से लौटने के बाद करीब ढाई तीन घंटे के बाद रोजनामचे में अपनी आमद दर्ज कराई है।

14. विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.5.16 को परिवादी से उसके ट्रेक्टरों को रोककर, ट्रेक्टरों को निर्बाध रूप से चलने देने के लिए 30,000/— रूपये की रिश्वत मांगी गई जिसके उपरान्त परिवादी द्व ारा सोच विचार कर अगले दिन सुबह जयपुर एसीडी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। परिवादी द्वारा रिपोर्ट कराने के उपरान्त सोच विचार करने में व अन्य से विचार विमर्श में इतना समय लगना स्वाभाविक था। परिवादी ने स्वंय ने कहा है कि वह टोंक ए.सी.बी में शिकायत दर्ज करने गया था परन्तु टोंक ए.सी.बी ने शिकायत दर्ज करने से इंकार कर दिया। इन तथ्यों को देखते हुए परिवादी द्वारा शिकायत दर्ज करने में एक दिन की देरी लगना स्वाभाविक था इससे अभियोजन के मामले में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

15. विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि प्रकरण में परिवादी रामगोपाल एवं चरतलाल को अभियुक्त द्वारा विन ओवर कर लिया गया है जिस कारण से वह पक्षद्रोही हुए हैं। उनका आगे यह भी तर्क है कि यद्यपि प्रकरण में परिवादी रामगोपाल पक्षद्रोही घोषित हुआ है परन्तु, परिवादी रामगोपाल ने बतौर अभियोजन साक्षी पी.ड.1 न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में अभियुक्त के विरूद्ध शिकायत प्रदर्श पी—1 दर्ज करना स्वीकार किया हैं। परिवादी रामगोपाल न अपनी शिकायत प्रदर्श पी—1, समस्त फर्दात व आर्टिकल पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। परिवादी ने वक्त सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करना व इसी प्रकार ट्रेप के दौरान वार्ताओं को रिकार्ड करना एवं उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श

पी–3 एवं प्रदर्श पी–7 पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है । उनका आगे यह भी तर्क है कि पक्षद्रोही होने मात्र से साक्षीगण की साक्ष्य को पूर्णतया नहीं नकारा जा सकता एवं पक्षद्रोही साक्षी के कथन के उस भाग को जो अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन का समर्थन करता है, के आधार पर भी अभियुक्त की दोषसिद्धी की जा सकती है।

16. विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अन्य गवाह, जिनमें स्वतंत्र गवाह एवं ट्रेप दल के अन्य सदस्य शामिल है, ने अभियोजन के मामले की ताईद की है।

17. विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग के उपरान्त रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रमाणित है। रिश्वत राशि 20,000/–रूपये अभियुक्त की पेन्ट की जेब से वक्त ट्रेप बरामद हुई थी। अभियुक्त ने यह राशि उससे बरामद होना स्वीकार किया है। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने राशि प्राप्त की थी। परन्तु, अभियुक्त ने साथ ही बचाव में एक मिथ्या तथ्य प्रकट किया है कि उसने राशि चरतलाल के लिए ली थी । राशि अभियुक्त से बरामद हुई है, अतः धारा 20 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियुक्त के विरूद्ध उपधारणा ली जा सकती है।

18. विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि अभियुक्त द्वारा अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया है। अभियुक्त की इंकारी से यह उपधारणा ली जा सकती है कि वार्ताओं की रिकार्डिंग की जो सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 एवं रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–12 में आवाजें अभियुक्त की ही है।

19. विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से परिवादी के ट्रेक्टर चलते रहने देने के लिए 30,000/– रूपये की रिश्वत मांगना एवं रिश्वत का प्राप्त करना अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 एवं धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का अपराध प्रमाणित है। विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियुक्त को उक्त आरोप के लिए कठोर से कठोर सजा से दंडित किया जावे।

20. अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता श्री अनिल सक्सेना ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। यहां तक कि प्रकरण में परिवादी रामगोपाल ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है जिसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है।

21. अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे तर्क है कि अभियुक्त रमेश चन्द मीणा के विरूद्ध परिवादी रामगोपाल द्वारा सोच समझा कर झूठे आधारों पर अभियुक्त पर दबाव डालने के लिए ए.सी.बी. में झूठी शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायत प्रदर्श पी–1 के अनुसार दिनांक 16.5.2016 को 7.00 बजे उसका ट्रेक्टर रूकवा कर अभियुक्त द्वारा ट्रेक्टर छोड़ने की एवज में 30,000/– रूपये मांगे परन्तु परिवादी द्वारा शिकायत अगले दिन दिनांक 17.05.2016 को जयपुर में दर्ज कराई गई है। परिवादी द्वारा शिकायत विलम्ब से दर्ज कराये जाने का कोई उचित कारण भी नहीं दर्शाया गया है। परिवादी ने अभियुक्त को झूठा फंसाने की मंशा से सोच समझकर ए.सी.बी टोंक में जो कि मात्र 60 किलोमीटर दूर है पर शिकायत दर्ज न करवा कर

ए.सी.बी जयपुर में शिकायत दर्ज करवाई है। परिवादी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी का अलीगढ़ से स्थानान्तरण कराने के लिए सोच समझ कर ए.सी.बी जयपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अतः उपरोक्त कारण से सोच समझ कर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का तथ्य प्रमाणित है जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक है।

22. अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे तर्क है कि ए.सी.बी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करने से पूर्व वैधानिक आवश्यकतायें पूरी नहीं की गई व ए.सी.बी मैनुअल की पालना नहीं की गई है। सत्यापन से पूर्व ट्रेप अधिकारी ने यह जानने की चेष्टा नहीं की कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद सच्चा है या झूठा एवं अभियुक्त की ख्याति क्या है।

23. विद्वान् अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे यह भी तर्क है कि धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने के तथ्य को न्यायालय में संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक है। परन्तु, हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा परिवादी से किसी भी प्रकार की रिश्वत की मांग किया जाना ही सिद्ध नहीं है। अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे तर्क है कि अभियुक्त द्वारा की गई प्रारम्भिक मांग भी सिद्ध नहीं की गई है। प्रकरण में परिवादी रामगोपाल ने प्रारम्भिक मांग को ही नकार दिया है एवं स्पष्टतः कथन किया है कि दिनांक 16.05.2016 को अभियुक्त ने उससे कोई रिश्वत की मांग नहीं की। उनका तर्क है कि जब प्रारम्भिक मांग ही सिद्ध नहीं है तो सारी ट्रेप कार्यवाही की दूषित हो जाती है।

24. अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे तर्क है कि अभियुक्त दिनांक 17.05.16 को शाम 5.45 पी.एम. पर थाना अलीगढ़ में नहीं था। वह लोकायुक्त, जयपुर के समक्ष उस दिन प्रस्तुत हुआ था एवं रात्रि 8.00

बजे थाना अलीगढ पहुंचा था। अभियुक्त रमेश मीणा उस दिन 6.30 बजे लोकायुक्त की पेशी में उपस्थित होने हेतु जयपुर रवाना हुआ था जिसकी रिपोर्ट उसने रोजनामचा के क्रमांक 644 पर डाली थी एवं वह दिनांक 17.05.16 को 8.00 पी.एम. पर थाना अलीगढ़ पहुंचा था जिसकी आमद उसने रोजनामचा के क्रमांक 669 पर दर्ज की थी जो थाना अलीगढ़ के रोजनामचा दिनांक 17.05.16 से प्रमाणित है।

25. अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे तर्क है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कॉल डिटेल प्रदर्श पी–15 प्रदर्श पी– 21 एवं प्रदर्श पी–22 अभियुक्त के विरूद्ध मामला साबित करने में अभियोजन की कोई मदद नहीं करते है। तफतीश अधिकारी द्वारा तीनों ही नम्बरों का सी.ए.एफ प्राप्त नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि यह नम्बर किस व्यक्ति के है। अभियोजन पक्ष यह महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

26. अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे तर्क है कि सी.ए.एफ प्रस्तुत करना इसलिए भी आवश्यक था क्यों कि तफतीश अधिकारी ने मोबाईल नम्बर 8414992087 को परिवादी रामगोपाल का नम्बर मानकर निष्कर्ष निकाला है जो कि गलत है क्यों कि यह मोबाईल नम्बर परिवादी का नहीं है। परिवादी ने प्रदर्श पी–1 शिकायत में अपना मोबाईल नम्बर स्पष्ट रूप से 9667902902 अंकित कराया है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त ने दिनांक 17.05.16 को रात्रि 8. 00 बजे रोमनामचा में अपनी आमद दर्ज कराई है जिस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है क्यों कि यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त रमेश मीणा को यह अंदेशा हो कि उसका ट्रेप हो जायेगा इसलिए वह बचाव में पहले ही गलत रिपोर्ट डाल दे इससे स्पष्ट है कि रमेश मीणा दिनांक 17.05.16 को समय 5.57 पी.एम पर थाने पर मौजूद नहीं था।

27. विद्वान् अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे यह भी तर्क है कि अभियोजन द्वारा कथित वार्ताओं की रिकार्डिंग से संबंधित सी.डी. आर्टिकल–11 व रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–12 एवं कथित वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–7 के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–11 वैध नहीं है इस कारण सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 व रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–12 एवं कथित वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–7 से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है। अभियोजन द्व ारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र सी.डी के तैयार होने के समय के काफी समय बाद का पेश किया गया है जब कि प्रमाण पत्र उसी समय का होना चाहिये था जब सी.डी तैयार की गई। उनका यह भी तर्क रहा कि अभियोजन द्वारा अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई है जो यह दर्शाती हो कि 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र सी.डी बनाने की दिनांक को तैयार कर लिया गया हो। अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे यह तर्क है कि प्रमाण पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय के इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड की साक्ष्य में ग्राह्यता के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र केवल अभियोजन के मामले में रह गई कमी पूर्ति के लिए बाद में तैयार किया गया है ।

28. विद्वान् अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे यह भी तर्क है कि अभियुक्त ने धारा 313 दं.प्र.सं. के प्रक्रम पर स्पष्ट कथन किया है कि आवाज के नमूने के नोटिस पर अनुसंधान अधिकारी ने स्वंय इंकारी लिखकर उसके हस्ताक्षर करवाये थे । विद्वान् अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे यह भी तर्क है कि अभियुक्त द्वारा अपनी आवाज का नमूना देने से यदि इंकार भी किया जाता है तो उस सूरत में उसकी इंकारी उसके विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती।

29. विद्वान् अधिवक्ता–अभियुक्त का आगे यह भी तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 7,13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त रमेश चन्द मीणा को धारा 7,13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

30. अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने दिये गये तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कियेः–

1. P.Satyanarayana Murthy v. The Dist. Inspector of Police and Anr. 2015 All SCR 3171
2. B.Jayaraj v. State of A.P. (2014) 13 SCC 15
3. Dashrath Singh Chauhan v. Central Bureau of Investigation 2018 (4) Crimes 169
4. Rajinder Kumar Narang v. State. 2014(3) Crimes 155(Del.)
5. Mohd. Imran Khan v. State Government (NCT of Delhi) (2011) 10 S.C.C 192
6. State of Tamil Nadu vs. S.Krishnamurthy (2002) 9 SCC 530
7. State of Himachal Pradesh v. Gian Chand (2001) 6 SCC 71.
8. Anvar P.V. v. P.K.Basheer and others, (2014) 10 SCC 473
9. Sanjaysinh Ramrao Chavan v. Dattatray Gulabrao Phalke and others. 2015 SCC SC 42
10. V.Venkata Subbarao v. State represented by Inspector of Police A.P. (2006) 13 SCC 305
11. C.B.I. v. Ashok Kumar Aggarwal, (2014) 14 SCC 295.
12. Krishan Chander v. State of Delhi, (2016) 3 SCC 108
13. M.S.Mohiddin v. Unknown AIR 1952 Mad 561

14. Ram Singh & others v. Col. Ram Singh, AIR 1986 SC 3

31. पत्रावली का अवलोकन किये जाने एवं उभय पक्ष को सुने जाने के पश्चात् हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :—

''क्या दिनांक 16.05.2016 को अभियुक्त रमेश चन्द मीणा, ने पुलिस थाना अलीगढ़ जिला टोंक में में उप निरीक्षक के पद पर लोक सेवक की हैसियत से कार्यरत रहते हुए परिवादी के ट्रेक्टर को बंधी नहीं देने पर बन्द कर उनको छोड़ने की एवज में व अपने थाना क्षेत्र में बजरी भरकर चलाने देने की एवज में वैध पारिश्रमिक से भिन्न रिश्वत के रूप में 30,000/— रूपये की रिश्वत की मांग कर 10,000/— रूपये दिनांक 17.5.16 को तथा 20,000/— रूपये दिनांक 27.5.16 को अवैध तरीके से प्राप्त कर आपराधिक अवचार का अपराध किया?

यदि हां, तो उपयुक्त दंड क्या होगा?

32. फौजदारी प्रकरण में सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को अभियोजन संदेह से परे प्रमाणित करे ।

33. अभियुक्त रमेश चन्द मीणा ने वर्ष 2016 में अर्थात सुसंगत समय में थानाधिकारी थाना अलीगढ़ जिला टोंक के पद पर बतौर लोक सेवक कार्य करने के तथ्य को नहीं नकारा है। अभियुक्त द्वारा उसके सेवा संबंधी दस्तावेज प्रदर्श पी—13 लगायत प्रदर्श पी—16 स्वीकार किये गये हैं। ऐसी सूरत में अभियुक्त के सेवा संबंधी दस्तावेज प्रदर्श पी—13 , प्रदर्श पी—14—(प्रथम नियुक्ति आदेश कांस्टेबल के पद पर) , प्रदर्श पी—15 (प्रथम नियुक्ति आदेश उप निरीक्षक के पद पर — दिनांक 25.2.19 को प्रदर्शित), प्रदर्श पी—16 (थानाधिकारी अलीगढ

के पद पर पदस्थापन आदेश – दिनांक 25.02.19 को प्रदर्शित) के संबंध में ,संक्षिप्तता की दृष्टि से, विस्तृत विवेचन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । पत्रावली पर मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श पी–.13, प्रदर्श पी–14, प्रदर्श पी–15. एवं प्रदर्श पी–16 से भी उभय पक्षों के मध्य यह अविवादित है कि सुसंगत समयावधि में अभियुक्त रमेश चन्द मीणा, थानाधिकारी थाना अलीगढ़ जिला टोंक के पद पर कार्यरत होकर लोक सेवक की हैसियत धारित करता था।

34. अभियुक्त रमेश चन्द मीणा, तत्कालीन थानाधिकारी थाना अलीगढ़ जिला टोंक, के विरूद्ध आई.जी अजमेर रेंज द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी–19 जारी की गई है। अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में अभियुक्त रमेश चन्द मीणा की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। अनुसन्धान अधिकारी ने सक्षम अधिकारी के समक्ष गलत तथ्य रखे व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी–19 गलत तथ्यों के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा अपने विवेक का उपयोग किये बिना जारी की गई है जो अमान्य है।

35. विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त के अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में दिये तर्क के संदर्भ में यदि हम अभियुक्त रमेश चन्द मीणा के विरूद्ध जारी की गई अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी–19 एवं अभियोजन साक्षी पी.ड. 8 मालिनी अग्रवाल की मौखिक साक्ष्य पर गौर करें तो साक्षी ने न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया है कि रमेश मीणा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के लिए अनुसंधान अधिकारी उसके पास विचार विमर्श एवं अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उपस्थित हुए थे व रमेश मीणा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति चाही गई थी। उसने प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं फाईल का अवलोकन किया

था। उसके बाद सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद में अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श करने के बाद उसके द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई थी। वह एस.एच.ओ को उसके पद से हटाने के लिए सक्षम थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि उन्होंने प्रकरण से संबंधित अभिलेख स्वंय देखा था और आई.ओ. से विचार विमर्श भी किया था। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–20 पर डिस्पेच नम्बर व तारीख गलत हो। गवाह का कथन किया है कि उन्होंने प्रकरण में रिर्काडेड वार्ताओं को सुना नहीं था परन्तु उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट की वार्ताओं को पढ़ा था। गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि उनके मातहत ने अभियोजन स्वीकृति तैयार की हो और उन्होंने केवल हस्ताक्षर कर दिये हों।

36. प्रदर्श पी–19 में स्पष्ट अंकित है कि सक्षम अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों और साक्षीगण के बयान व संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन कर अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श कर अभियोग में एकत्रित साक्ष्य का अवलोकन कर पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर अभियोजन स्वीकृति जारी की थी। सक्षम अधिकारी ने उन सारवान तथ्यों को उल्लेखित किया है जिन के आधार पर अभियोजन स्वीकृति जारी की थी।

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *State Of Maharashtra Tr.C.B.I vs Mahesh G.Jain (2013) 8 SCC 119* के मामले में प्रतिपादित किया है कि

"In R. Sundararajan v. State by DSP, SPE, CBI, Chennai, while dealing with the validity of the order of sanction, the two learned Judges have expressed thus:

"it may be mentioned that we cannot look into the adequacy or inadequacy of the material before the sanctioning authority and we

cannot sit as a court of appeal over the sanction order. The order granting sanction shows that all the available materials were placed before the sanctioning authority who considered the same in great detail. Only because some of the said materials could not be proved, the same by itself, in our opinion, would not vitiate the order of sanction. In fact in this case there was abundant material before the sanctioning authority, and hence we do not agree that the sanction order was in any way vitiated."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *डाक्टर सुब्रामनियम स्वामी बनाम डाक्टर मनमोहन सिंह 2012 (3) SCC 64,* के मामले में प्रतिपादित किया है कि लोक सेवक पर लगाये गये आरोप सही है या नहीं यह तय करने के लिए सक्षम अधिकारी विस्तृत जांच नहीं कर सकते है।

38. अतः उपरोक्त विवेचन से यह प्रकट नहीं होता है कि सक्षम अधिकारी ने बिना विवेक का इस्तेमाल किये यांत्रिक रूप से अभियोजन स्वीकृति जारी की हो। इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त रमेश चन्द मीणा के विरूद्ध जारी की गई अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी–19 का अवैधानिक होना नहीं पाया जाता है।

39. अधिवक्ता–अभियुक्त का यह तर्क है कि प्रकरण में परिवादी द्वारा रिश्वत राशि की कथित मांग किये जाने के बाद करीब एक दिन के विलम्ब से ए.सी.बी में शिकायत की गई है जिससे अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

40. न्यायालय के मत में केवल मात्र विलम्ब के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि परिवाद में वर्णित तथ्य मिथ्या व बनावटी ही हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद में देरी हर सूरत में अभियोजन के लिए घातक नहीं होती । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय *State of Himachal Pradesh v. Gian Chand, AIR 2001 SC 2075* में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैः–

"Delay in lodging the FIR cannot be used as a ritualistic formula for doubting the prosecution case and discarding the same solely on the ground of delay in lodging the first information report. Delay has the effect of putting the Court in its guard to search if any explanation has been offered for the delay, and if offered, whether it is satisfactory or not. If the prosecution fails to satisfactorily explain the delay and there is possibility of embellishment in prosecution version on account of such delay, the delay would be fatal to the prosecution. However, if the delay is explained to the satisfaction of the court, the delay cannot by itself be a ground for disbelieving and discarding the entire prosecution case."

41. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा जो रिपोर्ट परिवादी द्वारा ए.सी.बी कार्यालय में देना बताया गया है एवं जिसे प्रदर्श पी–1 प्रदर्शित करवाया गया है का अवलोकन करें तो उक्त रिपोर्ट में अंकित है कि अभियुक्त द्वारा रिश्वत राशि की कथित मांग के उपरान्त परिवादी ने विचार विमर्श किया एवं उसके उपरान्त रिपोर्ट ए.सी.बी में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में दर्शाये सम्पूर्ण प्रक्रिया में एक दिन का समय लगना स्वाभाविक था परन्तु इसी सन्दर्भ में यदि हम परिवादी के न्यायालय के समक्ष दिए बयान पर गौर करें तो परिवादी ने स्पष्ट कथन किया है कि। "थानेदार ने कहा कि इस रूट पर चलाओगे तो रॉयल्टी की रसीद दिखानी पड़ेगी और उनको धमकाया और कहा कि दोबारा इस रूट पर आओ तो रॉयल्टी की रसीद लेकर आना नहीं तो तुम्हें बंद कर दूंगा और केस कर दूंगा। दो तीन दिन बाद अलीगढ थाने से एक कांस्टेबल उनको चौथ का बरवाड़ा में पाउन्ड्रा फाटक पर मिला और उसने कहा कि आपके विरूद्ध थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराके गया है जिसको आपको 30000 रू. देने हैं। उसने कहा ठीक है वह एक दो दिन में व्यवस्था करके पहुँचा देगा।

वहाँ उनके कुछ साथी भी बैठे थे जिनमें एक रामफूल था और के नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा कि उस थानेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं जिससे उसका ट्रांसफर हो जायेगा और अपने टैक्टर भी चलने लगेंगे। उसके अगले दिन 4—5 आदमी जीप लेकर ए.सी.बी टोंक में गये। वहॉ पर पुलिस वाले मिले जिनको उन्होंने कहा कि चरतलाल को 30000 रू. देने है, उन्हें थानेदार परेशान कर रहा है उनको यह रूपये थानेदार को देकर उसका ट्रांसफर करवाना है जिसपर उन्होंने कहा कि ये काम ऐसे नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आप जयपुर चले जाओ वहाँ आपका काम हो सकता है। वे उसी दिन सभी झालाना डूंगरी ए.सी.बी कार्यालय जयपुर चले गये। ए.सी.बी कार्यालय में उन्हें दो कांस्टेबल मिले उनको उपरोक्त सारी घटना से अवगत करवाया। तब उन्होंने कहा कि आपको रमेश जी थानेदार को रिश्वत देनी पड़ेगी तब आपका काम होगा। उन्होंने फिर रिपोर्ट उसके साथी से लिखवाई और उसके हस्ताक्षर करवाये।"

यद्यपि, हस्तगत प्रकरण में शिकायत करने में एक दिन का विलम्ब सामान्यतः अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जा सकता परन्तु, हस्तगत प्रकरण में जहां परिवादी ने स्वंय कथन किया है कि उसने आरोपी रमेश मीणा को अलीगढ़ थाने से स्थानान्तरित करवाने के लिए शिकायत प्रस्तुत की है ऐसी परिस्थिति न्यायालय को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को और गहनता से जांचने व परखने हेतु सचेत व प्रेरित करती है।

42. अभियुक्त के विरूद्व धारा 7,13(1)(d), सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोप है।। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के प्रावधानों पर इस स्तर पर दृष्टिपात करना उचित होगाः—

*"7.**Public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act.***

Whoever, being, or expecting to be a public servant, accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person, for himsel or for any other person, any gratification whatever, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act or for showing or forbearing to show, in the exercise of his official functions, favour or disfavour to any person or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, with the Central Government of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of Section 2, or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine."

43. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7,13(1)(d) के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन को अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा प्रारम्भिक मांग, अभियुक्त द्वारा पारितोषण की स्वैच्छिक प्राप्ति व अभियुक्त से बरामदगी को संदेह से परे स्थापित एवं प्रमाणित करना है।

44. अभियुक्त द्वारा स्वंय के पास से ट्रेप के समय 20,000/— रूपये बरामद होने के तथ्य को नहीं नकारा है । अभियुक्त ने बयान अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में कथन किया कि रामगोपाल ने रूपये चरतलाल को देने के लिये टेबल पर रखे, उसने कहा उसे दे देना तो उसने कहा घर पर नहीं है, तब उसने चरतलाल को रूपये देने के लिए जेब में रख लिये। अभियुक्त ने आगे कथन किया है कि उसे पकड़ा जरूर था, हाथ धुलवाये थे, बोतलों को सील की

कार्यवाही जयपुर की थी। अभियुक्त द्वारा अभियुक्त के हाथों एवं पेंट के धोवन से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श पी–17, प्रदर्श पी–23 व प्रदर्श पी–24 स्वीकार किये गये हैं। ऐसी सूरत में संक्षिप्तता की दृष्टि से अभियुक्त के हाथों एवं पेंट के धोवन से संबंधित प्रदर्श पी–17 (दिनांक 25.2.19 को प्रदर्शित) विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, प्रदर्श पी–23 प्राप्ति रसीद एफ एस एल एवं प्रदर्श पी–24 फार्म 'एच' एफ एस एल एवं अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में प्रदर्शित आर्टिकल–1 व आर्टिकल–2 धोवन की शीशीयां आर 1 व आर–2, आर्टिकल–3 व आर्टिकल–4 धोवन की शीशीयां एल–1 व एल–2, आर्टिकल–5 व आर्टिकल–6 धोवन की शीशीयां पी–1 व पी–2, आर्टिकल–7 पेंट की सफेद कपड़े की सील्ड थैली, आर्टिकल–10 खाकी रंग की पेंट के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है

45. सर्वप्रथम अभियोजन को यह सिद्ध करना है कि दिनांक 16.05. 2016 को आरोपी रमेश चन्द मीणा ने परिवादी रामगोपाल से रामगोपाल का बजरी का ट्रेक्टर छोड़ने के और ट्रेक्टर को आगे चलाने के लिए 30,000/– रूपये की मांग की ।

46. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना व मांग के उपरान्त 10,000/– रूपये रिश्वत राशि दिनांक 17. 5.16 को सत्यापन के समय परिवादी से प्राप्त करना गवाह अभिषेक पारीक पी.ड.2, गवाह सुरेन्द्र सिंह पी.ड.5, गवाह अनोख कुमार पी.ड. 7 व गवाह राजकृष्ण मीणा पी.ड.11 की मौखिक साक्ष्य एवं रिकार्डेड वार्ता जो सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 में रिकार्ड है व वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 एवं कॉल डिटेल प्रदर्श पी–15 से होती है।

47. आरोपी रमेश चन्द मीणा द्वारा 30,000/– रूपये की प्राथमिक मांग के संबंध में परिवादी रामगोपाल पीडब्ल्यू–1 ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–1 में यह अंकित किया है कि मैं रामगोपाल पुत्र चौथमल, जाति गुर्जर, निवासी विजयपुरा, पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा का रहने वाला हूं। उसका अपना ट्रेक्टर है जिससे वह चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के बन्देडिया गांव से बजरी भरकर इन्द्रगढ़ लेकर जाता है। रास्ते में टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र का गांव चोरू का करीब चार किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। उस रास्ते पर अलीगढ़ थाने के थानाधिकारी रमेश ने दिनांक 16.05.16 को सुबह 7. 00 बजे मेरा ट्रेक्टर रोककर थाने पर ले गये। थानेदार ने मेरे को कहा कि तेरे ट्रेक्टर को छुड़ाना है तो 30,000/– रूपये देने पड़ेंगे नहीं तो ट्रेक्टर को बन्द करने व मुकद्मा बनाने के लिए थानेदार जी ने कहा। इस पर मैंने कहा कि अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है तो थानेदार ने मुझे कहा कि ट्रेक्टर छुड़वाना है तो 30,000/– रूपये देने पड़ेंगे, अभी तेरे पास पैसे नहीं है तो तू कीणी से कहलवा दे तेरा ट्रेक्टर छोड़ देंगे। मैंने कहा कि साहब विश्वास रखो, हम रोज निकलते हैं, पैसे का इन्तजाम करके मैं दे जाउंगा, आज ट्रेक्टर छोड़ दो। इस पर थानेदार ने मेरा ट्रेक्टर छोड़ दिया और कहा कि कल 30,000/– रूपये का इन्तजाम करके दे जाना नहीं तो तेरा बजरी का ट्रेक्टर बन्द करके मुकदमा बना दूंगा। मैं आज अलीगढ़ थानाधिकारी रमेश चन्द के पास जाउंगा तो वो मेरे से बजरी का ट्रेक्टर छोड़ने के और ट्रेक्टर को आगे चलाने के लिए 30,000/– रूपये की रिश्वत मांगेगा।

48. परिवादी रामगोपाल पीडब्ल्यू–1 ने न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया है कि "रास्ते में चोरू गांव के पास अलीगढ़ थाने की गाड़ी मिली उन्होंने उनको रोका और रॉयल्टी की रसीद मांगी। उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार रॉयल्टी की रसीद नहीं देता वैसे ही

बजरी भरकर भेजता है। आरोपी थानेदार ने कहा कि इस रूट पर चलाओगे तो रॉयल्टी की रसीद दिखानी पड़ेगी और उनको धमकाया और कहा कि दोबारा इस रूट पर आओ तो रॉयल्टी की रसीद लेकर आना नहीं तो तुम्हें बंद कर दूंगा और केस कर दूंगा। दो तीन दिन बाद अलीगढ थाने से एक कांस्टेबल उनको चौथ का बरवाड़ा में पाउन्ड्रा फाटक पर मिला और उसने कहा कि आपके विरूद्ध थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराके गया है जिसको आपको 30000 रू. देने हैं। उसने कहा ठीक है वह एक दो दिन में व्यवस्था करके पहुँचा देगा। वहॉ उनके कुछ साथी भी बैठे थे जिनमें एक रामफूल था और के नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा कि उस थानेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं जिससे उसका ट्रांसफर हो जायेगा और अपने टैक्टर भी चलने लगेंगे। उसके अगले दिन 4–5 आदमी जीप लेकर ए.सी.बी टोंक में गये। वहॉ पर पुलिस वाले मिले जिनको उन्होंने कहा कि चरतलाल को 30000 रू. देने है, उन्हें थानेदार परेशान कर रहा है उनको यह रूपये थानेदार को देकर उसका ट्रांसफर करवाना है जिसपर उन्होंने कहा कि ये काम ऐसे नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आप जयपुर चले जाओ वहाँ आपका काम हो सकता है। वे उसी दिन सभी झालाना डूंगरी ए.सी.बी कार्यालय जयपुर चले गये। ए.सी.बी कार्यालय में उन्हें दो कांस्टेबल मिले उनको उपरोक्त सारी घटना से अवगत करवाया। तब उन्होंने कहा कि आपको रमेश जी थानेदार को रिश्वत देनी पड़ेगी तब आपका काम होगा। उन्होंने फिर रिपोर्ट उसके साथी से लिखवाई और उसके हस्ताक्षर करवाये" ।

परिवादी रामगोपाल साक्षी पीडब्ल्यू–1 ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि "यह सही है कि रमेश चन्द ने मेरे से कभी ट्रेक्टर छोड़ने व चलाते रहने के लिए रिश्वत नहीं मांगी। यह सही है कि चूंकि आरोपी ने हमारे ट्रेक्टर रोकने शुरू कर दिये इस कारण से हम ए.सी.बी में गये थे। "

49. परिवादी रामगोपाल ने अभियोजन साक्षी पी.ड.1 के रूप में न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा उससे रिश्वत की मांग करना नहीं कहा है व इसके विपरीत साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त ने उससे ट्रेक्टर चलाने के कोई रूपये नहीं मांगे। परिवादी ने स्पष्ट किया है कि वह अभियुक्त का ट्रांसफर करवाना चाहता था इस कारण ए.सी.बी में शिकायत की थी। अभियोजन द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है। विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उससे ट्रेक्टर बजरी भरकर उसके थाने के क्षेत्राधिकारी से बेरोक टोक ले जाने बाबत् बन्दी स्वरूप 20,000/— रूपये रिश्वत राशि की मांग की हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि क्यों कि आरोपी ने उनके ट्रेक्टर रोकने शुरू कर दिये इस कारण वे ए.सी.बी में गये थे।

50. मांग के सम्बन्ध में प्रकरण के टी.एल.ओ अभिषेक पारीक पी.ड.2 ने केवल परिवादी की रिपोर्ट व परिवादी के कहेनुसार ही आरोपी द्वारा 30,000/— की रिश्वत मांगने का कहा है। उसने स्वंय प्रत्यक्ष रूप से आरोपी को सुना हो, ऐसा उसका कथन नहीं है। रिश्वत की मांग के सम्बन्ध में उसका कथन है कि ''उसी दिन सांयकाल अनोख कुमार ने उसे जरिये मोबाईल से अवगत कराया कि वे परिवादी के साथ थाना अलीगढ जिला टोंक पहॅुचे जहॉ पर परिवादी डिजिटल वाइस रिकार्डर के साथ वार्ता करने हेतु थाने में गया तथा थानाधिकारी से परिवादी ने अपने कार्य की वार्ता की जिसमें <u>परिवादी के अनुसार</u> उसने रमेश मीणा उप निरीक्षक से वार्ता की है जिसमें उन्होंने परिवादी के ट्रैक्टर को पूर्व में छोड़ने व अन्य दोनों ट्रैक्टरों को आगे से नहीं पकड़ने की एवज में 30000 रू. रिश्वत राशि की मांग की है तथा बतौर पेशगी 10000 रू. प्राप्त किये हैं व शेष 20000 रू. रिश्वत

राशि दो दिन बाद प्राप्त करने की वार्ता तय की है। उस पर उसने दोनों कानि. से वाइस रिकार्डर सुरक्षित लाकर पेश करने एवं परिवादी को दो दिन बाद 19.5.16 को प्रातः उपस्थित होने की हिदायत की। उपस्थित आये कानि. अनोख कुमार से उसने वाइस रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी व आरोपी के बीच हुई सत्यापन वार्ता को व्यक्तिशः सुना तो वार्ता में परिवादी रामगोपाल गुर्जर ने आरोपी से वार्ता की जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी के ट्रैक्टर को छोड़ने व भविष्य में अनवरत चलते रहने के लिए 30000 रू. रिश्वत राशि की मांग की व पेशगी के तौर पर 10000 रू. प्राप्त किये हैं।''। वह आरोपी की आवाज से परिचित हो ऐसा उसका कथन नहीं है। गवाह ने कथन किया है कि उसने गवाह व परिवादी की उपस्थिति में वायस रिर्कार्डिंग को सुना व वार्ता की, ट्रांसक्रिप्ट तैयार की एवं वार्ता की तीन सीडी तैयार की। गवाह के अनुसार वायस रिकार्डर की वार्ता को सुनकर उपस्थित परिवादी ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी रमेश मीणा की होना बताया। परन्तु, परिवादी ने न्यायालय के समक्ष बतौर पी.ड.1 लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर इस सुझाव को स्पष्ट रूप से नकारा है कि उसके सामने ए.सी.बी वालों ने टेप को सुना हो और सुनकर उसके सामने फर्द ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 बनाई हो। परिवादी ने इस सुझाव को भी नकारा है कि उसने एक आवाज स्वंय की वह दूसरी आवाज थानाधिकारी रमेश चन्द मीणा की पहचानी हो। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा जिरह के दौरान परिवादी रामगोपाल पी.ड.1 ने सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 व रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–12 सुनकर कथन किया है कि आवाजें किसकी है पहचान में नहीं आ रही है। गवाह ने इस सुझाव को भी नकारा है कि आरोपी ने उससे ट्रेक्टर छोड़ने की एवज में 10,000/– रूपये प्राप्त किये हो। मांग के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाह सत्यनारायण, पी.ड.3 की साक्ष्य पर

गौर करें तो गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग का कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवा कर लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने इस सुझाव को नकारा है कि आरोपी ने रामगोपाल से उनके ट्रेक्टर को निर्बाध चलने देने के लिए 30,000/– रूपये उसके सामने मांगे।

51. मांग के सम्बन्ध में प्रकरण के स्वतंत्र गवाह सुरेन्द्र सिंह की साक्ष्य पर गौर करें तो सुरेन्द्र सिंह ने बतौर गवाह पी.ड.5 न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि दूसरे दिन 7.00 बजे जब वह ए.सी.बी कार्यालय पहुंचे तो ए.सी.बी ने शिकायतकर्ता रामगोपाल से मिलवाया। रामगोपाल की शिकायत थी कि कोई थानाधिकारी अलीगढ थाने का रिश्वत के पैसे मांग रहा है, बजरी के ट्रोले छोड़ने के 20,000/– रूपये मांग रहा है। इस साक्षी ने आरोपी को रिश्वत मांगते हुए सुना हो ऐसा उसका कथन नहीं है। अधिवक्ता–अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर कथन किया कि प्रदर्श पी–7 कैसे बनाया गया उसे नहीं पता। उसके तो हस्ताक्षर करवाये थे।

52. अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाह चरतलाल पी.ड.6 ने आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग किये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। इस गवाह को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है व लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर इस सुझाव को नकारा है कि रामगोपाल ने उससे रूपये अलीगढ़ थाने के थानेदार को बजरी के ट्रेक्टर ले जाने की एवज में रूपये मांगने हेतु उसे देने बाबत् उससे उधार लिये थे। गवाह ने इस सुझाव को भी नकारा कि 10,000/– रूपये एडवांस थानेदार को देने के लिए वह रामगोपाल के साथ थाने पर गया हो।

53. अभियोजन साक्षी अनोख कुमार पी.ड.7 जो अभियोजन के अनुसार मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ अलीगढ गया था, का कथन है कि परिवादी के साथ वह व राजकृष्ण मीणा अलीगढ टोंक पहुंचे। वहां पर पुलिस थाने पर पहुंचकर वह व राजकृष्ण थाने के बाहर खडे रहे तथा परिवादी एसएचओ से बात करने के लिये थाने के अन्दर चला गया। करीब आधे घंटे बाद वह बाहर आया तथा आकर बताया कि एस.एच.ओ साहब से बात हो गयी है वह उसके ट्रैक्टर को छोड़ने की एवज में उससे तीस हजार रूपये मांग रहा है तथा दस हजार रूपये अभी उससे प्राप्त कर लिये हैं। बीस हजार रूपये के लिये उसने दो दिन बाद के लिये कहा है। उसके बाद उसने अपने मोबाईल से सी आई अभिषेक पारीक को फोन पर बताया। सी आई साहब ने डिजीटल वायस रिकार्डर लेकर आने के लिये कहा, जिस पर वह व राजकृष्ण अलीगढ से जयपुर के लिये रवाना होकर जयपुर पहुंचे। अगले दिन सुबह छः बजे सी.आई व वे कायालय पहुंचे। सी. आई साहब ने उससे डिजीटल वायस रिकार्डर मंगा कर सुना जिससे रिश्वत मांग की ताईद हुई । गवाह ने स्वंय रिकार्डिंग को सुना हो ऐसा उसका कथन नहीं है। जिरह में इस सुझाव को स्वीकारा है कि सत्यापन के समय उसने परिवादी को थाने के अन्दर बात करते या सुनते हुए नहीं देखा, ना ही यह देखा कि वह किस व्यक्ति से बात कर रहा है। इस सुझाव को भी नकारा है कि सत्यापन वार्ता को परिवादी के बाहर आते ही उन्होंने सुना हो।

54. आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी गुलाब चन्द बैरवा पी.ड.9, जो कि कार्यवाही का स्वतंत्र गवाह है, ने कथन किया है कि दिनांक 19.5.16 को वह और उसका साथी सुरेन्द्र सिंह ए.सी.बी कार्यालय गये। वहां पर उन्हें परिवादी रामगोपाल गुर्जर से अभिषेक पारीख सीआई ने मिलवाया और बताया की रमेश मीणा कोई पैसे वैसे मांग रहा है। इस गवाह ने भी स्वंय आरोपी को

रिश्वत मांगते सुना हो ऐसा उसका कथन नहीं है। मांग सत्यापन की कथित रिकार्डिंग के सम्बन्ध में गवाह का कथन है कि फर्द ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 उसके समक्ष नहीं बनाई गई। प्रदर्श पी–7 के सम्बन्ध में गवाह का कथन है कि प्रदर्श पी–7 उसके सामने बनी या नहीं उसे ध्यान नहीं।

55. आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग के सम्बन्ध में साक्षी हवा सिंह, पी.ड. 10 की साक्ष्य मौन है। गवाह केवल 19.5.16 व दिनांक 27.5.16 की कार्यवाही के सम्बन्ध में कथन करता है।

56. रिश्वत की मांग के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी राजकृष्ण मीणा, पी. ड.11, जो मांग सत्यापन के समय परिवादी के साथ गया था, ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि अलीगढ़ थाने के बाहर पहुंचने के बाद परिवादी थाने के अंदर चला गया। वे दोनों बाहर खड़े रहे। अनोख ने सीआई साहब को फोन किया और बताया कि परिवादी थाने के अंदर गया हुआ है और वे थाने के बाहर खड़े हैं। कुछ देर बाद परिवादी बाहर आया और बताया कि थानेदार ने उनके ट्रेक्टर जो जब्त किये थे उन्हें छोड़ने व आगे चलाने के लिए 30000 रू. मांगे थे जिसमें से 10000 रू. अभी प्राप्त कर लिये हैं। । साक्षी आगे कथन करता है कि वह वापिस आये तब तक देरी हो गयी थी। अगले दिन सुबह सी आई साहब के निर्देशानुसार जल्दी कार्यालय पहुंच गये। टेप रिकार्डर सी आई साहब को दिया जो उन्होंने सुना। गवाह ने स्वंय आरोपी को मांग करते सुना हो ऐसा उसका कथन नहीं है। यहां तक कि गवाह टेप रिकार्डर सुनने का भी कथन नहीं करता है। गवाह जिरह में भी कथन करता है कि परिवादी के साथ थाने में नहीं गये बाहर ही बैठे रहे। परिवादी ने अन्दर जाकर किससे बात की, किसको रूपये दिये मैंने नहीं देखा, परिवादी ने बाहर आकर बताया था। सत्यापन के उपरान्त परिवादी स्वंय ए.सी.बी चौकी पर

नहीं आया था। जहां मैं खड़ा था वहां से थाने के अन्दर का दृश्य नहीं दिख रहा था। यह कहना सही है कि परिवादी अन्दर किससे क्या बात कर रहा था, ना हम देख पा रहे थे और ना सुन पा रहे थे।

57. रिश्वत की मांग के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी जगदीश पी.ड.12 की साक्ष्य मौन है।

58. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी रामदयाल के बतौर गवाह पी.ड.13 मांग के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसने स्वंय वार्ताओं की सीडियों को नहीं सुना था।

59. अभियोजन के अनुसार सत्यापन वार्ता दिनांक 17.05.2016 को रिकार्डर से कम्प्यूटर में डाउन लोड कर सत्यापन वार्ता की सी.डी. आर्टिकल–11 तैयार की गई एवं रिर्काडेड वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 बनाई गई थी।

60. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में मांग सत्यापन की सीडी आर्टिकल–11 एवं लेन–देन वार्ता की सीडी आर्टिकल–12 द्वितीयक साक्ष्य है परन्तु द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र उक्त द्वितीयक साक्ष्य तैयार करते समय नहीं दिया जाकर बाद में अत्यधिक विलम्ब से दिया गया है जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *Anvar P.V. v/s P.K. Basheer* में प्रतिपादित विधिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं होने से साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है।

61. सत्यापन वार्ता की सी.डी सी.डी आर्टिकल–11 एवं रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–12 इलेक्ट्रोनिक अभिलेख की

परिभाषा में आती हैं। इलेक्ट्रोनिक अभिलेख के सम्बन्ध में सुसंगत प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी नियमानुसार है।

62. धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः–

65 ख. *(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलेक्टॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किसी सूचना को भी, जा कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् कम्प्यूटर निर्गम कहा गया है), तब एक दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कम्प्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती है और वह मूल की किसी अन्तर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा।*

(2) कम्प्यूटर उत्पाद के संबंध में उपधारा (1) में वर्णित शर्तें निम्नलिखित होगी, अर्थात्–

(क) सूचना से युक्त कम्प्यूटर निगम, कम्प्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कम्प्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए, सूचना भंडारित करने या प्रसंस्करण करने के लिए नियमित रूप से कम्प्यूटर का उपयोग किया गया था,

(ख) उक्त अवधि के दौरान इलेक्टॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में नियमित रूप से भरी गई थी,

(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में आद्योपांत, कम्प्यूटर समुचित रूप से कार्य कर रहा था अथवा, यदि नहीं तो, उस अवधि के उस भाग की बाबत, जिसमें कम्प्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि में प्रचालन में नहीं

था, ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलेक्टॉनिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो, और

(घ) इलेक्टॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुन : उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त कियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरा गया था।

(3) जहॉ किसी अवधि में, उपधारा (2) के खण्ड (क) में यथा उल्लिखित, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं कियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य कम्प्यूटरों द्वारा नियमित रूप से निष्पादित किया गया था, वह चाहे यह–

(क) उस अवधि में कम्प्यूटरों के प्रचालन के संयोजन द्वारा, या

(ख) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित विभिन्न कम्प्यूटरों द्वारा, या

(ग) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित कम्प्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा, या

(घ) उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालन को अंतर्वलित करते हुए किसी अन्य रीति में हो, चाहे वह एक या अधिक कम्प्यूटरों और एक या अधिक कम्प्यूटरों के संयोजनों द्वारा किसी भी कम में हो, उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कम्प्यूटर इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कम्प्यूटर के रूप में माने जाएंगे और इस धारा में कम्प्यूटर के प्रति निर्देश का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(4) किन्ही कार्यवाहियों में, जहॉ इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाणपत्र, अर्थात्–

(क) विवरण से युक्त इलेक्टॉनिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था,

(ख) उस इलेक्टॉनिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी युक्ति को ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलेक्टॉनिक अभिलेख का कम्प्यूटर द्वारा उत्पादन किया गया था,

(ग) ऐसे विषयों में से किसी पर कार्रवाई करना, जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित है, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यिक होना, जो सुसंगत युक्ति के प्रचालन या सुसंगत कियाकलाप के प्रबंध के (जो भी समुचित हो) संबंध में उत्तरदायी पदीय हैसियत में हो, प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा, और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के लिए यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है।

63. इलेक्ट्रोनिक अभिलेख के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय *Anvar P.V. Vs P.K. Basheer and Others (2015) 1 SCC (Cri) 24* के मामले में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है:–

"13. Any documentary evidence by way of an electronic record under the Evidence Act, in view of Sections 59 and 65A, can be proved only in accordance with the procedure prescribed under Section 65B. Section 65B deals with the admissibility of the electronic record. The purpose of these provisions is to sanctify secondary evidence in electronic form, generated by a computer. It may be noted that the Section starts with a non obstante clause. Thus, notwithstanding anything contained in the Evidence Act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer shall be deemed to be a document only if the conditions mentioned under sub–section(2) are satisfied, without further proof or production of the original. The very admissibility of such a document, i.e., electronic record which is called as computer output, depends on the satisfaction of the four conditions under Section 65B(2). Following are the specified conditions under Section 65B(2) of the Evidence Act:

(i) The electronic record containing the information should have been produced by the computer during the period over which the same was regularly used to store or process information for the

purpose of any activity regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of that computer;

(ii) The information of the kind contained in electronic record or of the kind from which the information is derived was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activity;

(iii) During the material part of the said period, the computer was operating properly and that even if it was not operating properly for some time, the break or breaks had not affected either the record or the accuracy of its contents; and

(iv)The information contained in the record should be a reproduction or derivation from the information fed into the computer in the ordinary course of the said activity.

14. Under Section 65(B)(4) of the Evidence Act, if it is desired to give a statement in any proceedings pertaining to an electronic record, it is permissible provided the following conditions are satisfied:

(a) There must be a certificate which identifies the electronic record containing the statement;

(b) The certificate must describe the manner in which the electronic record was produced;

(c) The certificate must furnish the particulars of the device involved in the production of that record;

(d) The certificate must deal with the applicable conditions mentioned under Section 65B(2) of the Evidence Act; and

(e) The certificate must be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device.

15. It is further clarified that the person need only to state in the certificate that the same is to the best of his knowledge and belief. Most importantly, such a certificate must accompany the electronic record like computer printout, Compact Disc(CD), Video Compact Disc(VCD), Pen drive, etc., to which a statement

is sought to be given in evidence, when the same is produced in defence. All these safeguards are taken to ensure the source and authenticity, which are the two hallmarks pertaining to electronic record sought to be used as evidence. Electronic records being more susceptible to tampering, alteration, transposition, excision, etc., without such safeguards, the whole trial based on proof of electronic records can lead to travesty of justice.

16. Only if the electronic record is duly produced in terms of Section 65B of the Evidence Act, the question would arise as to the genuineness thereof and in that situation, resort can be made to Section 45A - opinion of examiner of electronic evidence.

17. The evidence Act does not contemplate or permit the proof of an electronic record by oral evidence if requirements under Section 65B of the Evidence Act are not complied with, as the law now stands in India."

"22. The evidence relating to electronic record, as noted herein before, being a special provision, the general law on secondary evidence under Section 63 read with Section 65 of the Evidence Act shall yield to the same. Generalia specialibus non derogant, special law will always prevail over the general law. It appears, the court omitted to take note of Sections 59 and 65A dealing with the admissibility of electronic record.

Sections 63 and 65 have no application in the case of secondary evidence by way of electronic record; the same is wholly governed by Sections 65A and 65B. To that extent, the statement of law on admissibility of secondary evidence pertaining to electronic record, as stated by this court in Navjot Sandhu case (supra), does not lay down the correct legal position. It requires to be overruled and we do so. An electronic record by way of secondary evidence shall not be admitted in evidence unless the requirements under Section 65B are satisfied. Thus, in the case of CD, VCD, chip etc., the same shall be accompanied by the certificate in terms of

Section 65B obtained at the time of taking the document, without which, the secondary evidence pertaining to that electronic record, is inadmissible."

64. अभियोजन कथानक से मांग सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 दिनांक 19.5.2016 को एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता की सी.डी दिनांक 27.5.2016 को बनाया जाना प्रकट होता है। इस संबंध में धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–16 दिनांक 25.7.2016 को अर्थात आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *State By Karnataka Lokayukta vs M. R. Hiremath 2019 7 SCC 515* के मामले में प्रतिपादित विधिक सिद्वान्त के अनुसारे विलम्ब से दिया जाना नहीं माना जा सकता ।

65. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *Anvar P.V. v/s P.K. Basheer (2015) 1 SCC (Cri) 24* में प्रतिपादित विधिक सिद्वान्त कि इलैक्टोनिक दस्तावेज की द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम की पालना की जानी चाहिये से विधितः आबद्व है।

66. हस्तगत प्रकरण में सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 एवं रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–12 जो कि द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी का साक्ष्य है, के समर्थन में धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है । अभियोजन द्वारा धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–16 (दिनांक 31.5.19 को प्रदर्शित) में केवल कंप्यूटर एवं सी.डी को अपने कब्जे में सुरक्षित रखते हुए बिना छेड़ छाड़ किये हुए फर्द रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता तैयार करवाने के तथ्य अंकित हैं ।. सी.डी कैसे और किसको सुन कर बनायीं गयी, फर्द किसको सुन कर बनायीं गयी इस सम्बन्ध में

प्रमाणपत्र मौन है । कम्प्यूटर के कब्जे बाबत, कम्प्यूटर की सुरक्षा बाबत, कम्प्यूटर से प्राप्त किये गये दस्तावेजात बाबत संबंधित तथ्य प्रमाण पत्र में अंकित नहीं होने से प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–16 (दिनांक 31.5.19 को प्रदर्शित) धारा 65 ''बी' साक्ष्य अधिनियम में प्रावधनित तथ्यों के अनुरूप नही है। अतः कथित मांग सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 व वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3, एवं रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–12 व वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–7 इलेक्ट्रोनिक अभिलेख के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय Anvar P.V. Vs P.K. Basheer and Others *(2015) 1 SCC (Cri) 24* की रोशनी में, साक्ष्य में पठनीय नहीं रह जाती है।

67. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *रामसिंह बनाम कर्नल रामसिंह AIR 1986 Supreme Court 3* वाले मामले में टेप रिकार्डर की साक्ष्य की ग्राह्यता के लिये निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक माना है :–

(1) The voice of the speaker must be duly identified by the maker of the record or by others who recognize his voice. In other words, it manifestly follows as a logical corollary that the first condition for the admissibility of such a statement is to identify the voice of the speaker. Where the voice has been denied by the maker it will require very strict proof to determine whether or not it was really the voice of the speaker.

(2) The accuracy of the tape-recorded statement has to be proved by the maker of the record by satisfactory evidence-- direct or circumstantial.

(3) Every possibility of tampering with or erasure of a part of a tape-record statement must be ruled out otherwise it may render the said statement out of context and, therefore, inadmissible.

(4) The statement must be relevant according to the rules of Evidence Act.

(5) The recorded cassette must be carefully sealed and kept in safe or official custody.

(6) The voice of the speaker should be clearly audible and not lost or distorted by other sounds or disturbances

68. माननीय उच्चतम न्यायालय ने संजय सिंह *रामाराव बनाम दत्तात्रेय गुलाब राव 2015 SCC SC 42* के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि

"Admittedly, the panch witnesses have not heard the conversation, since they were not present in the room. As the voice recorder is itself not subjected to analysis, there is no point in placing reliance on the translated version. Without source, there is no authenticity for the translation. Source and authenticity are the two key factors for an electronic evidence, as held by this Court in Anvar P.V. v. P.K. Basheer and others."

69. जहाँ पर न्यायालय में वार्तालाप की ट्रांसलेशन प्रस्तुत की गई हो जो कि स्वतन्त्र गवाहों द्वारा प्रमाणित भी हो, तब भी जिस वॉयस रिकॉर्डर से उसे बनाया गया उसकी स्पेक्ट्रोग्राफिक जांच नहीं हुई हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । मूल (Source) व प्रमाणिकता (authenticity) इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज के मूल अंग है ।

70. प्रकरण के टी.एल.ओ अभिषेक पारीक पी.ड.2 ने कथन किया है कि उसने गवाह व परिवादी की उपस्थिति में वॉयस रिकॉर्डिंग को सुना व वार्ता की, ट्रांसक्रिप्ट तैयार की एवं वार्ता की तीन सी.डी तैयार की। गवाह आरोपी की आवाज से परिचित हो ऐसा उसका कथन नहीं है। गवाह के अनुसार वॉयस रिकॉर्डर की वार्ता को सुनकर उपस्थित परिवादी ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी रमेश मीणा की होना बताया। परन्तु, परिवादी ने न्यायालय के समक्ष बतौर पी.ड.1 लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर इस सुझाव को स्पष्ट रूप से नकारा है कि उसके सामने ए.सी.बी वालों ने टेप को सुना हो और

सुनकर उसके सामने फर्द ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 बनाई हो। परिवादी ने इस सुझाव को भी नकारा है कि उसने एक आवाज स्वंय की वह दूसरी आवाज थानाधिकारी रमेश चन्द मीणा की पहचानी हो। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा जिरह के दौरान परिवादी रामगोपाल पी.ड.1 ने सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 व रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–12 रिश्वत सुनकर कथन किया है कि "आवाजें किसकी है पहचान में नहीं आ रही है।"

71. इसी सम्बन्ध में साक्षी गुलाब चन्द बैरवा, पी.ड.9, जो कि कार्यवाही का स्वतंत्र गवाह है एवम फर्द ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 का गवाह है , का मांग सत्यापन की रिकार्डिंग एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 के सम्बन्ध में कथन है कि फर्द ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 उसके समक्ष नहीं बनाई गई।

72. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी रामदयाल के बतौर गवाह पी.ड.13 मांग के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसने स्वंय वार्ताओं की सीडियों को नहीं सुना था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने परिवादी की आवाज का नमूना भी नहीं लिया था।

73. हस्तगत प्रकरण में मूल रिकॉर्डर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल कथित वार्ताओं की सी.डी पेश की गयीं हैं। परिवादी रामगोपाल ने सी.डी आर्टिकल 3 में अपनी या आरोपी की आवाज को नहीं पहचाना है। ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 में 70 से अधिक स्थान पर वार्ता का अस्पष्ट होना अंकित है इसलिए आवश्यक था कि रिकॉर्डर की स्पेक्ट्रोग्राफिक जाँच करवायी जाती जिस से रिकॉर्डिंग की विशुद्धता प्रमाणित होती ।

74. अभियोजन को अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग तथा उक्त मांग के अनुक्रम में रिश्वत प्राप्त करने के तथ्य को सारभूत एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य

से साबित करना होता है एवं रिकॉर्डर में रिकोर्डेड वार्ता को समपुष्टिकारक साक्ष्य हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य के साथ छेडछाड नहीं की गई हो, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा *पी.वी. अनवर बनाम पी.के बशीर, संजय सिंह रामाराव बनाम दत्तात्रेय गुलाब राव* व *रामसिंह बनाम कर्नल रामसिंह* के मामलों में प्रतिपादित विधिक व्यवस्थाओं द्वारा आवश्यक था।

75. उपरोक्त विवेचन से हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त रमेश चन्द मीणा द्वारा परिवादी रामगोपाल से रिश्वत की मांग व उसके सत्यापन का, परिवादी रामगोपाल के पक्षद्रोही घोषित होने से, सारभूत साक्ष्य नहीं है एवं सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 के सम्बन्ध में धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वैध प्रमाण पत्र नहीं होने से अभियुक्त द्वारा रिश्वत राशि की कथित मांग के सम्बन्ध में कोई संपुष्टिकारक साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं पाई गई।

76. अभियोजन के अनुसार दिनांक 15.5.2016 को अभियुक्त सांय 5.30 बजे जयपुर में न होकर थाना अलीगढ़ में ही था। मोबाईल नम्बर 9530417862 की कॉल डिटेल प्रदर्श पी–15 में दिनांक 17.05.2016 को उक्त मोबाईल समय 17.57 उनियारा टोंक के टॉवर की रेंज में होना अंकित है। विद्वान् अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त का तर्क है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कॉल डिटेल साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है क्यों कि कॉल डिटेल के साथ कस्टमर एप्लीकेशन फार्म संलग्न नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त कॉल डिटेल में अंकित नम्बर किस व्यक्ति के है। यथा संदर्भ कॉल डिटेल प्रदर्श पी–21 एवं प्रदर्श पी–22 पर गौर करें तो दोनों की कॉल डिटेल्स को बचाव पक्ष द्वारा दिनांक 27.09.2019 को स्वीकार किया गया है एवं स्वीकार करने पर

उन पर प्रदर्श अंकित किये गये थे। प्रदर्श पी–21 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रदर्श पी–21 में अंकित मोबाईल नम्बर 9413831073 रमेश मीणा पुत्र बंशीधर मीणा के नाम जारी किया हुआ है। अभियोजन द्वारा मोबाईल नम्बर 9530417862 की कॉल डिटेल प्रदर्श पी–15 प्रस्तुत की गई है जिसमें दिनांक 17.05.2016 को उक्त मोबाईल समय 17.57 की उनियारा टोंक के टॉवर की रेंज में होना अंकित है। परन्तु उक्त मोबाईल नम्बर के सम्बन्ध में कस्टमर एप्लीकेशन फार्म प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि यह मोबाईल नम्बर किस व्यक्ति को जारी किया गया है।

77. अभियोजन द्वारा दिनांक 17.5.2016 को समय 5.57 पी.एम पर अभियुक्त की अलीगढ थाने में उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। सीडीआर के अभाव में केवल प्रदर्श पी–15 के आधार पर यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता की दिनांक 17.5.2016 को समय 5.57 पी.एम पर अभियुक्त जयपुर में अथवा अन्यथा न हो कर अलीगढ थाने पर ही हो, खासकर जब अलीगढ थाने के रोजनामचा दिनांक 17.5.2016 में अभियुक्त की आमद समय 8.00 पी.एम पर अंकित है. अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त का यह तर्क निराधार प्रतीत नहीं होता कि राजनामचे में प्रविष्टि पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्यूं कि क्या अभियुक्त को यह अंदेशा था की वह ट्रैप हो जायेगा और इस कारण उसने राजनामचे में गलत आमद दर्ज की। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का दिनांक 17.5.2016 को 5.57 पी.एम व 8.00 पी.एम के मध्य अलीगढ थाने पर होने के सम्बन्ध में अलीगढ थाने के किसी कर्मचारी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया जा सकता था परन्तु अभियोजन द्वारा ऐसे किसी कर्मचारी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही अनुसन्धान के समय इस सम्बन्ध में थाने के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी से तफ्तीश की गयी है । अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सी.डी.आर. प्रदर्श

पी–15 अभियोजन पक्ष की अभियुक्त के विरूद्ध कोई मदद नहीं करता हैं।

78. अभियोजन द्वारा यह सी.डी.आर प्रदर्श पी–22 परिवादी के मोबाईल नम्बर का होना बताया गया है । इस मोबाईल नम्बर 8441992087 के सम्बन्ध में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी का कथन है कि क्यों कि चार्जशीट (संभवतः गवाह परिवाद को रेफर कर रहा है) में उक्त नम्बर परिवादी का बताया गया था इस कारण उसने इस नम्बर की कॉल डिटेल सम्बन्धित मोबाईल कम्पनी से प्राप्त की। यदि हम परिवादी की शिकायत प्रदर्श पी–1 पर गौर करें तो प्रदर्श पी–1 परिवाद में परिवादी ने अपना मोबाईल नम्बर 9667902902 अंकित किया है। अभियोजन द्वारा परिवाद में अंकित मोबाईल नम्बर 9667902902 की कोई कॉल डिटेल प्रस्तुत नहीं की है ना ही मोबाईल नम्बर 8441992087 का कंज़ूमर एप्लीकेशन फार्म प्रस्तुत किया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त कॉल डिटेल में अंकित नम्बर किस व्यक्ति के है। । अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सी.डी.आर. प्रदर्श पी–22 अभियोजन पक्ष की अभियुक्त के विरूद्ध कोई मदद नहीं करते हैं।

79. उपरोक्त विवेचन से अभियुक्त रमेश चन्द मीणा द्वारा परिवादी रामगोपाल से रिश्वत की मांग किये जाने के तथ्य अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित नहीं पाये गये हैं।

80. जहां तक अभियुक्त से 20000/– रूपये की राशि की बरामदगी का प्रश्न है, प्रकरण में अभियुक्त द्वारा 20000/–रूपये राशि के उसकी पैंट से बरामद होने के तथ्य को नहीं नकारा गया है। अभियुक्त का कथन है कि "मेरे पास रामगोपाल का टेलीफोन आया था कि चरतलाल के 20,000/– रूपये देने है तो मैंने कहा कि मैं छुट्टी पर हूं, थाने पर दे जाना बयान दे देना। रामगोपाल ने रूपये

चरतलाल को देने के लिए टेबिल पर रखे मैंने कहा उसे दे देना तो उसने कहा घर पर नहीं है तब मैंने चरतलाल को रूपये देने के लिए जेब में रख लिये"। उपरोक्त विवेचन से, गवाहान के बयान से 20000/– रूपये की राशि का अभियुक्त उसकी पैंट में से बरामद होना प्रमाणित है।

81. यथासंदर्भ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 सुसंगत है जो यथाप्रकार है–

धारा 20. जहां लोक सेवक वैध पारिश्रमिक के भिन्न पारिश्रमिक ग्रहण करता है वहां उपधारा– (1) जहां धारा 7 या धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण में यह साबित कर दिया जाता है अभियुक्त व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति से (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई पारितोषण या कोई मूल्यवान वस्तु अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिग्रहीत या अभिप्राप्त की है या प्रतिग्रहित करने की सहमति दी है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने यथास्थिति,उस परितोषण या मूल्यवान वस्तु को ऐसे हेतु या ईनाम के रूप में , जैसा कि धारा 7 में वर्णित है, या यथास्थिति, प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है, प्रतिग्रहीत या अभिप्राप्त किया है अथवा प्रतिग्रहित करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है।

82. धारा 20(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में अभिव्यक्त उपरोक्त उपधारणा को अभियुक्त द्वारा अभियोजन पक्ष के प्रतिपरीक्षण को आधार बनाकर अथवा अपनी ओर से विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके भी खण्डित किया जा सकता है एवं उक्त उपधारणा के संदर्भ

में अभियुक्त के साबित करने के भार की तुलना अभियोजन के साबित किये जाने के भार से नहीं की जा सकती, क्योकि अभियोजन को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है, जबकि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर की जा सकती है। ऐसा मत सादर न्याय दृष्टांत C.M. Girish Babu v CBI, Cochin, High Court of Kerala (2009) 3, एस.सी.सी 779 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है जिसका पैरा संख्या–21 सुसंगत होकर अविकल रूप से यथाप्रकार है–

"It is well settled that the presumption to be drawn under section 20 is not inviolable one. The accused charged with offense could rebut it either through the cross examination of the witnesses cited against him or by adducing reliable evidence. If the accused fails to disprove the presumption the same would stick and then it can be held by the court that the prosecution has proved that the accused has received the amount towards gratification."

83. इस संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत V.D. Jhingan Vs. State of Uttar Pradesh ए.आई.आर 1966 एस.सी. 1762 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

"(ii) The burden of proof lying upon the accused under section 4(1) of the Prevention of corruption Act will be satisfied if the accused person established his case by a preponderence of probability a and it is not necessary that he should establish his case by test of proof beyond a reasonable doubt. In other words , the onus on an accused person may well be compared to the onus on a party in civil proceeding."

ऐसा ही मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त *V.Venkata Subbarao v. State represented by Inspector of Police A.P. (2006) 13 SCC 305* में प्रतिपादित किया गया है ।

84. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मांगूसिंह बनाम राजस्थान राज्य 2012(3) क्रिमि.लॉ.रिपो. 1167 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि––

> *35 "The section uses the words "shall be presumed unless the contrary is proved". Thus the section creates a presumption of law and not of fact. Secondly, it is a compulsory presumption which the court is legally bound to invoke after "the prosecution proves that the accused person has accepted or obtained or has agreed to accept or attempted to obtain for himself, or for any other person any gratification (other than the legal remuneration) or any valuable thing from any person". Thirdly the prosecution can prove the fact that illegal gratification has been accepted either through direct or circumstantial evidence. Fourthly, the presumption is rebutted not by merely offering an explanation, but most importantly by proving it.----------36. Since it is a presumption of law and not of the fact, section 20 shifts the burden of proof from the prosecution to the accused to rebut the presumption. Although the burden of proof is not as heavy as on the prosecution, although the accused can discharged by probabalising his defence, but nonetheless a mere denial is not sufficient for rebutting the presumption. Infact, the accused is required to" prove" his defence by submitting cogent evidence in order to probablise his defence. "*

85. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त *बी.जयराज बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (2014) 13 SCC 15* में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार केवल रिश्वत राशि की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियोजन को यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने राशि मांग के उपरान्त वैध पारिश्रमिक से भिन्न रिश्वत राशि जानते हुए स्वेच्छा से प्राप्त की हो।

86. उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में बरामद की गयी राशि के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा तत्काल दिए गए स्पष्टीकरण व अभियुक्त की बचाव की साक्ष्य पर विचार किया जाना आवश्यक है । अभियुक्त ने परिवादी से प्राप्त राशि रिश्वत राशि होने से इंकार किया है । बरामद 20000/– रूपये की राशि के सम्बन्ध में अभियुक्त ने अपने बचाव में बयान अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि "रामगोपाल के विरूद्ध चरतलाल का परिवाद लम्बित था उसमें सिपाही जांच करने गया था "। "उसके पास रामगोपाल का टेलीफोन आया था कि चरतलाल के 20,000/– रूपये देने है तो उसने कहा कि वह छुट्टी पर है थाने पर दे जाना तथा बयान दे देना। रामगोपाल ने रूपये चरतलाल को देने के लिये टेबल पर रखे, उसने कहा उसे दे देना तो उसने कहा घर पर नहीं है, तब उसने चरतलाल को रूपये देने के लिए जेब में रख लिये। उसने ए.सी.बी वालों को कहा था कि चरतलाल को देने का कहकर रूपये दिये थे, उसका परिवाद भी है आप देख लो तो उन्होंने नहीं देखा। "उसकी रामगोपाल से रिश्वत की कोई बात नहीं हुई। सारी कार्यवाही फर्जी की है। उसने उस समय भी बताया था कि पैसे चरतलाल को देने की कहकर दिये थे। उसने परिवाद भी दिखाना चाहा पर नहीं लिया।" "उसने बार बार कहा था रूपये चरतलाल के लिये दिये है। उसने सही बताया था कि चरतलाल को देने की कहकर पैसे दिये

थे"। "उसने कोई गर्दन नीचे नहीं की थी बल्कि स्पष्ट कथन किया था कि पैसे चरतलाल को देने की कहकर दिये है"।

87. अभियोजन साक्षी रामगोपाल पी.डब्ल्यू–1 ने न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया है कि लगभग 10.30–11.00 बजे ए.सी.बी वाले तीन जीपों में आये इतने में उसका एक साथी रामफूल भी वहाँ पर आ गया था तब ए.सी.बी वालों ने उसे उसके द्वारा पूर्व में दिये गये वही 20000 रू. उसे देकर कहा कि अपनी जेब में रख लो और ये जाकर रमेश जी थानेदार को दे देना और कहा कि देने के बाद उनको इशारा कर देना। तब वह और उसका साथी रामफूल मोटरसाइकिल पर आगे आगे थाना अलीगढ की ओर रवाना हुए। वे थानाधिकारी की केबिन में गये वहॉ थानाधिकारी रमेश जी बैठे थे उनके साथ दो व्यक्ति और बैठे थे। उनसे राम राम करके उन्हें 20000 रू. लेने के लिए कहा तब उन्होंने कहा कि ये रूपये चरतलाल को ही दे देना। तब उसने उनको कहा कि चरतलाल नहीं मिला, इसलिए ये रूपये आप ही चरतलाल को दे देना और उसके विरूद्ध केस को बंद कर देना और उसको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने रमेश जी की टेबल पर 20000 रू. रख दिये। रमेश जी ने ठीक है कहकर उक्त रूपये अपनी जेब में रख लिये। गवाह आगे कथन करता है की ए.सी.बी वालों ने रमेश जी को पकड़ लिया और उन्होंने रमेश जी से पूछताछ की आपने रिश्वत के पैसे लिये हैं? तब रमेश जी ने बोला कि ये तो चरतलाल के पैसे हैं जो उनको देने हैं। ए.सी.बी वालों ने कहा कि चरतलाल के हैं वो वे बाद में देख लेंगे उन्हें कार्यवाही करना आता है। इतने में वहॉ भीड़ इकट्ठी हो गई उस पर ए.सी.बी वालों ने उन सभी को तथा रमेश जी को जीप में बिठाया और वे सभी ए.सी.बी कार्यालय जयपुर पहुॅचे।

जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि प्रदर्श डी–1 वही स्टाम्प है जो चरतलाल को लिख कर दिया था तथा जिस पर मैंने हस्ताक्षर किये थे। यह सही है कि चरतलाल ने थाने पर मेरे खिलाफ शिकायत की थी कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूं। यह सही है कि चरतलाल ने शिकायत कुछ समय पहले की थी। उस दिन रामफूल भी मेरे साथ था। यह सही है कि मैंने हाजिर अदालत आरोपी को पैसे यह कहते हुए दिये थे कि पैसे चरतलाल को भिजवा देना। मैंने थानेदार को पैसे यह कहकर दिये कि चरतलाल ने थाने पर रिपोर्ट कर रखी है आप ये रूपये चरतलाल को दे देना और मामला बन्द कर देना। यह सही है कि ए.सी.बी के पूछने पर रमेश चंद ने यह कहा था कि ये रूपये चरतलाल के है जिसका परिवाद पहले से दर्ज है।

88. प्रकरण के टी.एल.ओ अभिषेक पारीक अभियोजन साक्षी पी.ड.2 ने कथन किया है कि "आरोपी से उसने पूछा कि आपके द्वारा रिश्वत राशि 20000 रू. परिवादी से किस कार्य के लिये हैं तो आरोपी ने बताया कि 'परिवादी ने उसे आज 20000 रू. दिये हैं और यह कहा कि उसने रूपये चरतलाल से उधार लिये थे आप उसको दे देना।" अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू–5 सुरेन्द्र सिंह ने जिरह में कथन किया है कि "यह सही है कि रमेश चन्द यह कह रहा था कि रामगोपाल को चरतलाल को रूपये देने हैं जो रूपये इसने मुझे दिये है। यह सही है कि जब रमेश चन्द मीणा ने कहा कि चरतलाल की रिपोर्ट देख लो तो इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो ए.सी.बी वालों ने कहा कि हम देख लेंगे। यह सही है कि रमेश चन्द मीणा बार बार कह रहे थे कि चरतलाल के पैसे हैं आप रिकार्ड क्यों नहीं ले रहे हो।" अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू–7 अनोख कुमार ने अपने सशपथ बयान में

कथन किया है कि सी.आई साहब ने एस.एच.ओ रमेश मीणा से रिश्वत राशि बाबत् पूछा तो पहले तो हड़बडा गये थे फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने उसे बीस हजार रूपये दिये हैं वह चरत लाल को देने के लिये दिये हैं। उन्होंने कहा था कि चरत लाल अभी घर पर नहीं है वो आये तो उसे दे देना। जिरह में साक्षी ने कथन किया कि रमेश मीणा ने जब यह कहा था कि उसे रूपये चरतलाल को देने के लिए दिये है तब मैं कक्ष में ही था। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू–9 गुलाब चन्द बैरवा ने जिरह में कथन किया कि यह सही है कि आरोपी बार बार कह रहा था कि पैसे चरतलाल के है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू–10 ने हवा सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि "फिर सी.आई ने दोबारा पूछा तो थानेदार ने कहा कि जो पैसे दिये हैं वो चरतलाल के लिए दिये हैं। थानेदार ने यह भी बोला कि परिवादी ने मुझसे कहा था कि चरतलाल घर पर मौजूद नहीं है इसलिए यह रूपये वह आपको दे रहा है" । अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू– 11 राजकृष्ण मीणा ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि फिर थानेदार ने बताया कि उसने रामगोपाल से पूछा था कि तू पैसे किस बात के दे रहा है तो रामगोपाल ने कहा था कि पैसे चरतलाल को देने के लिए हैं चरतलाल घर पर नहीं मिला, आप चरतलाल को दे देना।

89. इसी परिपेक्ष्य में चरतलाल के बयान महत्वपूर्ण हैं. चरतलाल ने बतौर अभियोजन साक्षी पी.ड.6 सशपथ कथन किया है कि " 2016 में वह मोटर पार्टस की दुकान का कार्य करता था। उस समय रामगोपाल उसके पास आता था, उठता बैठता था जो चौथ का बरवाड़ा विजयपुरिया का रहने वाला था। उसके ट्रेक्टर पत्थरों का सामान लाने ले जाने का कार्य था वो उसकी दुकान से पार्ट्स खरीदता था। एक दिन वो उसकी दुकान पर आया उसे 30,000/– रूपये की जरूरत पड़ी। उसने उसे स्टाम्प लाने के लिए

कहा वो स्टाम्प ले आया जिस पर 30,000/– रूपये लिखवा दिये। उसने उससे घरेलू खर्च के लिये ये 30,000 रू. लिये थे। उसने स्टाम्प पर एक माह का करार किया था। एक माह निकलने पर करीबन एक दो दिन बाद उससे पैसों के बारे में तकाजा किया तो उसने अकड़कर बात की और उसे धमकी दी कि कोई पैसे वैसे नहीं है ज्यादा मांगे तो मारपीट भी कर दूंगा। उसके बाद उसने अलीगढ़ थाने में इस बात की रिपोर्ट थानेदार रमेश मीणा से की। उसके बाद रमेश मीणा ने इस मामले में तफतीश कर रामगोपाल को बुलाया। फिर कहा कि जीतराम गुर्जर को तफतीश दे दो। रामगोपाल को बुलाया समझाया तो उसने कहा कि वह 2–4 दिन में 30,000 रू. दे जायेगा। 7–8 दिन बाद रामगोपाल उसकी दुकान पर आया और 10000 रू. देने लगा उसने वो रूपये नहीं लिये और उसे कहा पूरे पैसे दे और थाने पर चल। फिर वे थाने गये, थाने पर थानेदार नहीं मिले, दीवान जी थे जिनका नाम वह नहीं जानता। उन्होंने रामगोपाल से 10000 रू. लेकर उसे दिये और बाकी रूपये 2–5 दिन बाद देने के लिए कहा। साक्षी ने आगे कथन किया है कि फिर रामगोपाल ने 5–6 दिन बाद फोन किया कि अपने बाकी पैसे लेने आ जाओ वह दुकान पर नहीं था, उनियारा गया हुआ था। उसने कहा थाने में दे जाना और अपनी रिपोर्ट बन्द करवा लेना। आधे घंटे बाद एक लोकल आदमी टीनू जांगिड का फोन आया कि तेरे पैसों के चक्कर में थानेदार को ट्रेप करवा दिया गया है जिस पर वह थाने पर पहुंचा। जहां 5–6 गाड़ियां अन्य थानों की भी खड़ी थी। उसने अन्दर जाने की कोशिश की तो एसीडी वालों ने उसे अन्दर नहीं जाने दिया। उसने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि यहां कुछ नहीं होगा आप जयपुर आ जाना। फिर एसीडी वाले थानेदार को ले गये और वह वापस अपने घर चला गया।" अधिवक्ता–अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में साक्षी ने कथन किया कि मैंने थाने में जो शिकायत दी थी

वो प्रदर्श डी–2 है । मैं वहां पहुंचा तो काफी भीड़ थी, जाम लग गया था वहां 5–6 गाडियां पुलिस की खड़ी थी। वहां पर मेरे कहने के बावजूद मेरे ए.सी.बी वालों ने बयान नहीं लिये कहा कि बाद में जयपुर आ जाना। मुझे फिर ए.सी.बी वालों ने जयपुर बयान हेतु नहीं बुलाया। स्टाम्प पक्का मंडवाया था जिसकी नकल प्रदर्श डी–1 है।

90. अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों के बयानों से आरोपी द्वारा उठाया गया बचाव कि परिवादी ने उसे रुपए चरतलाल को देने के लिए दिए थे बाद में सोच सोच विचार कर लिया गया एवं एक काल्पनिक बचाव ही होना प्रकट नहीं होता है।

91. आरोपी द्वारा उठाये गये बचाव के सन्दर्भ में यदि हम पत्रावली पर आयी प्रतिरक्षा साक्ष्य पर गौर करें तो अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में अलीगढ थाने के सिपाही जीत सिंह साक्षी डी.ड.1 को परिक्षित करवाया है। गवाह ने कथन किया है की दिनांक 10.5.16 को रमेश मीणा ने एक परिवाद उसे कार्यवाही के लिए दिया था। परिवाद चरतलाल ने दिया था और रामगोपाल के विरुद्ध पैसों का मामला था ।

92. यथा सन्दर्भ पत्रावली पर बचाओ पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रलेखी साक्ष्य पर गौर करें तो प्रदर्श डी–2 चरतलाल का प्रार्थना पत्र (परिवाद) (दिनांक 27.9.19 को प्रदर्शित) से प्रमाणित है कि चरतलाल द्वारा परिवादी के विरुद्ध शिकायत 27.5.2016 से पूर्व दिनांक 10.05.2016 को पेश की गयी थी जो अभियुक्त द्वारा कथित मांग दिनांक 16.05.2016 से 6 दिन पूर्व को पेश की गयी है। स्टाम्प प्रदर्श डी–1 से भी परिवादी द्व ारा चरतलाल से राशि उधार लिया जाना प्रकट होता है । फोटो प्रति रोजनामचा आम थाना अलीगढ़ प्रदर्श डी–3 (दिनांक 2.11.20 को प्रदर्शित) से सिपाही जीतसिंह का दिनांक 12.5.2016 को चरतलाल द्वारा पेश परिवाद की जाँच हेतु जाना प्रमाणित है। स्टाम्प

प्रदर्श डी–1 , प्रदर्श डी–2 चरतलाल का प्रार्थना पत्र (परिवाद) (दिनांक 27.9.19 को प्रदर्शित) एवं फोटो प्रति रोजनामचा आम थाना अलीगढ़ प्रदर्श डी–3 (दिनांक 2.11.20 को प्रदर्शित) से भी अभियुक्त द्वारा रखे पक्ष को स्वालम्बन प्राप्त होता है एवं बचाओ पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रलेखी साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव बाद में सोच सोच विचार कर लिया गया एक काल्पनिक बचाव नहीं होकर संभाव्य होना प्रकट होता हैं।

93. अभियुक्त द्वारा परिवादी से राशि 20000 रू. रिश्वत स्वरुप प्राप्त करने को सिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा वक्त लेनदेन की वार्ता की सी.डी. आर्टिकल–12 एवं ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–7 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है। परन्तु, सी.डी. एवं ट्रांसक्रिप्ट के सम्बन्ध में धारा 65 ''बी' साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–16 (दिनांक 31.5.19 को प्रदर्शित) के सम्बन्ध में पूर्व में किये गये उपरोक्त विवेचन से उक्त सी.डी. व ट्रांसक्रिप्ट साक्ष्य में अग्राह्य होने से अभियोजन की कोई मदद नहीं करते हैं। किसी भी गवाह ने सी.डी. अथवा ट्रांसक्रिप्ट अपने समक्ष बनाये जाने का कथन नहीं किया है। इसके विपरीत परिवादी का कथन है कि उसके समक्ष कोई सी.डी. या ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनाई गयी न ही उसने आवाजों की पहचान की। सी. डी. व ट्रांसक्रिप्ट के स्वतंत्र साक्षीगण पी.ड. 5 सुरेन्द्र सिंह व पी.ड. 9 गुलाब चन्द ने भी सी.डी. व ट्रांसक्रिप्ट अपने समक्ष बनाये जाने का कथन नहीं किया है। पी.ड. 5 सुरेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि ए.सी.बी कार्यालय में आने के बाद उसे व गुलाब चन्द को कहा कि कार्यवाही में थोड़ा समय लगेगा आप लोग चाय पी आओ जिस पर वह जवाहर सर्किल आ गये व चाय पीकर 30–35 मिनट बाद ए.सी.बी कार्यालय पहुंचे जहां ए.सी.बी द्वारा तैयार किये गये फर्द दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये व जाने के लिए बोला। जिरह में स्वतंत्र गवाह सुरेन्द्र सिंह ने कथन किया है कि

प्रदर्श पी–7 कैसे बनाया गया उसे नहीं पता उसके तो हस्ताक्षर करवाये गये थे। जब वह चाय पीकर वापस ए.सी.बी कार्यालय पहुंचे तब ए.सी.बी वाले सीडीयां बनाकर उन पर मार्कर से कुछ लिख रहे थे। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकारा कि उसे नहीं पता कि सीडीयां किसने व कैसे बनाई । गवाह ने आगे कथन किया कि जब वह वापस ए.सी.बी कार्यालय आये तो ए.सी.बी वालों ने उन्हें फर्द दिखाकर कहा था कि हमने फर्द तैयार कर ली है आप चाहो तो पढ़ लो जिस पर उन्होंने फर्दों को सरसरी तौर पर पढ़ा व हस्ताक्षर किये। उसने फर्दों को गहनता से नहीं पढ़ा। सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट के सम्बन्ध में प्रकरण के अन्य स्वतंत्र गवाह गुलाब चन्द बैरवा पी.ड. 9 का भी कथन है कि जयपुर पहुंचने पर अभिषेक जी ने कहा कि हम दस्तावेज तैयार कर रहे है जब तक आप चाय पानी कर आये। गवाह ने कथन किया है कि वह और सुरेन्द्र सिंह बाहर घूमने चले गये व कुछ समय पश्चात् वापस ए.सी.बी कार्यालय आये जहां अभिषेक जी ने उनकी गवाही ली व दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर करवाये। जिरह में गवाह ने कथन किया कि जयपुर पहुंचने के उपरान्त जब वह चाय पीने गये तो पीछे से कौन कौनसी फर्दे बनाई थी वह लम्बा समय होने से नहीं बता सकता। गवाह का कथन है कि प्रदर्श पी–3 उसके समक्ष नहीं बनाई गयी। गवाह ने कथन किया कि ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–7 व सीडी उसके सामने बनाई गई थी या नहीं उसे नहीं पता। साक्षीगण पी.ड. 5 सुरेन्द्र सिंह व पी.ड. 9 गुलाब चन्द को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही भी घोषित नहीं करवाया गया है।

94. परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के बयानों के उपरोक्त किये गये विवेचन से सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 व रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–12 एवं ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–7 का बनाया जाना संदिग्ध हो जाता है एवं इस कारण

से भी सत्यापन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–11 व रिश्वत राशि लेंन देंन वार्ता की सी.डी आर्टिकल–12 एवं प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–7 से अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध मामला सिद्ध करने में कोई मदद नहीं मिलती है।

95. उपरोक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि अभियुक्त रमेश चंद मीणा , उसके विरुद्ध उत्पन्न धारा 20 की उपधारणा को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर सफलतापूर्वक खंडित करने में सफल रहा है।

96. हस्तगत प्रकरण में प्रकरण के टी.एल.ओ अभिषेक पारीक पी.डब्ल्यू 2 की साक्ष्य से एवं बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह सें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट हुए हैं, जो कि सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं :–

1. जिरह में साक्षी अभिषेक पारीक पी.डब्ल्यू 2 ने कथन किया है कि मैंने परिवादी व अभियुक्त का गोपनीय रूप से चरित्र का वेरिफिकेशन किया था परन्तु प्रदर्श पी–1 के संलग्न रनिंग नोट दिनांक 17.5.2016 में कहीं भी आरोपी के सम्बन्ध में कोई भी, गोपनीय अथवा अन्य, सत्यापन का जिक्र नहीं है ।

2. रनिंग नोट दिनांक 19.05.16 समय 7.15 ए.एम. में टी.एल.ओ द्वारा अंकित किया गया है कि अलमारी से डिजीटल वायस रिकार्डर निकाल कर उसको परिवादी व गवाहान के समक्ष सुनना प्रारम्भ किया व कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की सहायता से वार्ता लोड कर परिवादी से पूछ पूछ कर वार्ता की रूपान्तरण ट्रांसक्रिप्ट बनाना प्रारम्भ की । बाद वार्ता रूपान्तरण फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की। मुताबिक वार्ता लोड वार्ता को फर्द के मुताबिक तीन खाली सी.डी.यों में लोड़ करके सीडीयों को फर्द के अनुसार गवाहान के समक्ष सील मोहर कर मार्क ए व ए–1 दिया

तथा एक आई.ओ. सीडी पत्रावली में रखी, परन्तु, रनिंग नोट में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि परिवादी अथवा गवाहों ने रिकार्डिंग को सुना हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया है कि उसने रिकार्डिंग को इयर फोन लगाकर सुनी। ट्रांसक्रिप्ट टेप रिकार्डर सुनकर बनाई थी। रिकार्डर को ईयर फोन लगाकर सुना जिस पर न्यायालय द्वारा गवाह से प्रश्न किया गया कि टेपरिकार्डर को एक समय में कितने व्यक्ति सुन सकते हैं। जिस पर गवाह ने कथन किया की रिकार्डर से एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सुन सकते है जिस पर न्यायालय द्वारा पुनः प्रश्न किया गया कि टेप रिकार्डर एक से अधिक व्यक्ति कैसे सुन सकते थे जिस पर गवाह ने उत्तर दिया कि टेप रिकार्डर एक से अधिक व्यक्ति इयर फोन लगाकर या स्पीकर लगाकर सुन सकते हैं। गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को स्वीकार किया कि इयर फोन यदि रिकार्डर से जुड़ा हुआ हो तो उसमें उसी समय स्पीकर नहीं जोड़ा जा सकता, स्पीकर सुनने के लिए इयर फोन हटाना पड़ेगा। यह गवाह रिकार्डर में स्पीकर जोड़ने का कथन नहीं करता है।

3. जिरह में साक्षी अभिषेक पारीक पी.डब्ल्यू 2 ने कथन किया है कि यह सही है कि परिवादी ने बताया था कि रामफूल भी उसके साथ आरोपी के कक्ष में गया था। यह सही है कि प्रदर्श पी–3 में परिवादी ने बताया था कि वक्त सत्यापन उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो उससे एवं थानेदार से परिचित था। यह सही है कि उस अन्य व्यक्ति को मैंने चौकी पर नहीं बुलाया। यह सही है कि फर्द ट्रांसक्रिप्ट में कई जगह अस्पष्ट आवाज होना लिखा है। यह सही है कि ट्रांसक्रिप्ट में परिवादी, आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति की भी आवाज है। यह सही है कि मैंने परिवादी से

ट्रांसक्रिप्ट में वर्णित अन्य व्यक्ति की पहचान बाबत् नहीं पूछा खुद कहा क्यों कि इससे संबंधित नहीं था इसलिए नहीं पूछा।

टी.एल.ओ द्वारा मांग सत्यापन के चश्मदीद गवाह को सुसंगत नहीं मानना टी.एल.ओ की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

4. प्रदर्श पी–1 के संग्लग्न रनिंग नोट दिनांक 27.5.2016 के अनुसार अभियुक्त को 1.20 पी.एम पर गिरफ्तार किया गया एवं 1.40 पी.एंम पर नक्शा मौका बनाया गया । टी.एल.ओ द्वारा थाना अलीगढ से रवानगी के समय रोजनामचे में रवानगी रिपोर्ट क्रम संख्या 1135 पर डाली गयी है जैसा की प्रदर्श डी.1 व प्रदर्श डी. 6 से स्पष्ट है । रोजनामचे में क्रम संख्या 1135 पर रवानगी रिपोर्ट के उपरांत क्रम संख्या 1136 पर अन्य रिपोर्ट डाली गयी है जिसका समय 1.15 पी.एम है । इससे स्पष्ट है की ट्रैप टीम 1.15 पी.एम से पूर्व रवाना हो गई थी । जब ट्रैप टीम 1.15 पी.एम से पूर्व रवाना हो गयी थी तो किस प्रकार समय 1.40 पी.एम पर नक्शा मौका बनाया गया और किस प्रकार समय 1.20 पी.एम पर फर्द गिरफ्तारी बनायीं गयी। रवांनगी के समय का तथ्य एवं नक्शा मौका व गिरफ्तारी के समय का तथ्य परस्पर विरोधाभासी हैं जिससे रनिंग नोट में अंकित प्रविष्टियाँ सन्देहजनक हो जाती हैं।

5. प्रकरण के टी.एल.ओ. अभिषेक पारीक पी.ड.2 ने जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–7 में अन्य व्यक्ति रामफूल की वार्ता की भी ट्रांसक्रिप्ट है। परिवादी ने बताया था कि रामफूल भी उसके साथ आरोपी के कक्ष में गया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–3 में परिवादी ने बताया था कि वक्त सत्यापन उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो उससे व थानेदार से भी परिचित था। प्रदर्श पी–7 में अन्य व्यक्ति की

आवाज का अंकन है। प्रदर्श पी–7 में परिवादी द्वारा अन्य व्यक्ति की पहचान रामफूल के रूप में की गई है। परन्तु, आश्चर्यजनकरूप से रामफूल जो कथित लेनदेन का चश्मदीद गवाह था, के सम्बन्ध में कोई तफतीश नहीं की गई है ना ही उसे गवाह के रूप में उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

6. रनिंग नोट, जो प्रदर्श पी–1 शिकायत के साथ संलग्न है, की प्रविष्टियों का दर्शाये गये समय व दिनांक को लिखा जाना इस कारण से भी संदिग्ध हो जाता है कि रनिंग नोट दिनांक 17.05.16 समय 7.43 पी.एम. पर परिवादी के हस्ताक्षर है जब कि दिनांक 17.05.16 को समय 7.43 पी.एम. पर परिवादी ए.सी.बी कार्यालय, जयपुर में नहीं आया था वह उनियारा में ही रूक गया था। इस सम्बन्ध में प्रकरण के टी.एल.ओ पी.ड.2 अभिषेक पारीक से अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया कि दिनांक 17.05.16 समय 7.43 पी.एम. के रनिंग नोट पर 19 तारीख को परिवादी के हस्ताक्षर सहवन से दिनांक 19.05.16 को परिवादी के आने पर कराये गये। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकारा कि 18 तारीख के रनिंग नोट पर परिवादी के हस्ताक्षर नहीं है। यह साधारण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि परिवादी दिनांक 19.05.16 को कार्यवाही लिखे जाने उपरान्त अपने हस्ताक्षर करते समय पीछे के एक पृष्ठ को छोड़कर दिनांक 17.05.16 के रनिंग नोट के पृष्ठ पर हस्ताक्षर करे।

7. प्रकरण के टी.एल.ओ. अभिषेक पारीक (पी.ड.2) द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए एवं उनके उल्लंघन में रिकार्डेड वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट एवं स.डी स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति तैयार की

गयी, जैसा की स्वतंत्र गवाह पी.ड.–5 सुरेन्द्र सिंह एवं , पी.ड.–9 गुलाब चन्द बैरवा (स्वतंत्र गवाह) के बयानों से स्पष्ट है। प्रकरण के टी.एल.ओ. अभिषेक पारीक (पी.ड.2) द्वारा प्रकरण के लगभग हर चरण पर ए.सी.बी मैनुअल एवं नियमों की अनदेखी अथवा उनका उल्लंघन करने से उनकी नियमो के प्रति एवं बतौर टी.एल.ओ. अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता प्रलक्षित होती है।

97. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *Mohd. Imran Khan v. State Government (NCT of Delhi) (2011) 10 S.C.C 192* में यह उद्धृत किया है कि :–

> *"21. The investigation into a criminal offence must be free from all objectionable features or infirmities which may legitimately lead to a grievance to either of the parties that the investigation was unfair or had been carried out with an ulterior motive which had an adverse impact on the case of either of the parties. Investigating Officer is supposed to investigate an offence avoiding any kind of mischief or harassment to either of the party. He has to be fair and conscious so as to rule out any possibility of bias or impartial conduct so that any kind of suspicion to his conduct may be dispelled and the ethical conduct is absolutely essential for investigative professionalism. The investigating officer "is not merely to bolster up a prosecution case with such evidence as may enable the court to record a conviction but to bring out the real unvarnished truth." (Vide: Jamuna Chaudhary & Ors. v. State of Bihar, AIR 1974 SC 1822; State of Bihar & Anr. etc. etc. v. P.P. Sharma & Anr., AIR 1991 SC 1260; and Babubhai v. State of Gujarat & Ors., (2010) 12 SCC 254)"*

98. हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादी द्वारा बतलाये गये फोन 9667902902 के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं करने, बिना आधार मोबाईल नम्बर 8441992087 परिवादी का होना मान के मोबाईल नम्बर 8441992087 के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना, प्रदर्श

पी–3 में अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई तफतीश नहीं करने , प्रदर्श पी–7 में अन्य व्यक्ति रामफूल के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान नहीं करने एवं चरतलाल के परिवाद के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान नहीं करने आदि तथ्यों से अनुसंधान पर न केवल विपरीत प्रभाव पड़ा है अपितु उसकी निष्पक्षता भी प्रभावित हुई है।

99. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *Vikramjit Singh @ Vicky vs. State of Punjab (2006) 12 S.C.C 306* में यह उद्धृत किया है कि

> *"It may be that in a situation of this nature where the court legitimately may raise a strong suspicion that in all probabilities the accused was guilty of commission of heinous offense but applying the well-settled principle of law that suspicion, however, grave may be,cannot be a substitute for proof, the same would lead to the only conclusion herein that the prosecution has not been able to prove its case beyond all reasonable doubt."Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the mental distance between 'may be' and 'must be' is long and divides vague conjectures from sure conclusions."*

100. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *P.Satyanarayana Murthy .vs. The District Inspector of Police and another, 2015 All SCR 3171* में यह उद्धृत किया है कि :–

> *"the golden principle which runs through the web of administration of justice in criminal cases, this Court in Sujit Biswas vs. State of Assam (2013)12 SCC 406 had held that suspicion, however grave, cannot take the place of proof and the prosecution cannot afford to rest its case in the realm of "may be" true but has to upgrade it in the domain of "must be" true in order to steer clear of any possible surmise or conjecture. It was held, that the Court must ensure that miscarriage of justice is avoided and if in the facts and circumstances, two views are plausible, then the benefit of doubt must be given to the accused."*

101. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में यह विधिक सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि सन्देह कितना ही गहरा क्यों न हो प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है एवं अभियोजन को अपने मामलें को '' ऐसा हो सकता '' की श्रेणी से भिन्न '' ऐसा ही है '' की श्रेणी तक ले जाना होता है एवं जहाँ तथ्यों एवं परिस्थितियों से दो प्रकार की सम्भावनायें प्रकट होती है तो उस सम्भावना को, जो कि अभियुक्त को लाभ प्रदान करती है, माना जाना चाहिये ।

102. उपरोक्त साक्ष्य के सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि अभियोजन यह सन्देह से परे सिद्ध करने में नाकामयाब रहा है कि अभियुक्त रमेश चन्द मीणा, ने पुलिस थाना अलीगढ़ जिला टोंक में उप निरीक्षक के पद पर लोक सेवक की हैसियत से कार्यरत रहते हुए परिवादी के ट्रेक्टर को बंधी नहीं देने पर बन्द कर उनको छोड़ने की एवज में व अपने थाना क्षेत्र में बजरी भरकर चलाने देने की एवज में वैध पारिश्रमिक से भिन्न रिश्वत के रूप में 30,000/— रूपये की रिश्वत की मांग कर 10,000/— रूपये दिनांक 17.5.16 को तथा 20,000/— रूपये दिनांक 27.5.16 को अवैध तरीके से प्राप्त कर आपराधिक अवचार का अपराध किया ।

103. अभियोजन अभियुक्त रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री बंशीधर मीणा के विरूद्ध अधिनियम की धारा 7,13(1)(d) सपठित धारा 13 (2) का अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायालय के मत में अभियुक्त रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री बंशीधर मीणा को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 7,13(1)(d) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है —

:: आदेश ::

104. अभियुक्त रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री बंशीधर मीणा ,को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(क) सपठित धारा 13 (2) के अपराध से सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

105. अभियुक्त की उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

106. अभियुक्त धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आगामी 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहने वाले 25000 रू की संतुष्टिप्रद जमानत व इतनी ही राशि का मुचलका निष्पादित करे।

107. प्रकरण में वजह सबूत, आर्टिकल 1 लगायत आर्टिकल–12 बाद गुजरने मियाद अपील/ अपील न होने की सूरत में नष्ट किये जावें।

(अनिल बेनीवाल)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर।

108. निर्णय आज दिनांक 6.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल बेनीवाल)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर।